

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर
-बैठक कार्यवाही विवरण:-

लेब टेक्नीशियन सीधी भर्ती 2023 बाबत राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर द्वारा जारी विज्ञापित दिनांक 31.05.2023 के संदर्भ में ऑनलाइन आवेदन पत्रों के दस्तावेज सत्यापन उपरान्त भर्ती एजेंसी द्वारा तैयार की गई अंतरिम वरीयता सूची 04.10.2023 का प्रकाशन किया जाकर ऑनलाइन परीवेदनाएँ आमंत्रित की गईं। जिसके क्रम में राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 3852-55 दिनांक 16.05.2024 के द्वारा लेब टेक्नीशियन की कुल 251 परीवेदनाएँ (सुप्लीकेट परीवेदनाओं को गणना में सम्मिलित करते हुये) निदेशालय को निस्तारण हेतु प्राप्त हुई हैं, जिनके निस्तारण हेतु संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (मुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की अध्यक्षता में गठित परीवेदना निस्तारण समिति की बैठक दिनांक 17.05.2024 को दोपहर 03:00 बजे राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (शिफू), जयपुर में आयोजित की गई जिसमें निम्नांकित अधिकारियों ने भाग लिया :-

1	निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज, जयपुर	सदस्य सचिव
2	निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर	सदस्य
3	रजिस्ट्रार, राजस्थान वैराण्डिकल काँसिल, जयपुर	सदस्य
4	संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित), मुख्यालय	सदस्य
5	संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), मुख्यालय	सदस्य
6	रजिस्ट्रार, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर	सदस्य
7	उप विधि परामर्शी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय	सदस्य
8	उप विधि परामर्शी, मुख्यालय	सदस्य

बैठक में प्राप्त ऑनलाइन परीवेदनाओं पर चर्चा कर एवं सम्बन्धित दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त रागिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

क्र.स.	अभ्यर्थी का नाम	आईडी	परीवेदना का विवरण	वस्तुथितिपरक टिप्पणी	परीवेदना रागिति का निर्णय
1	RAHUL GARG	LTN116394	अभ्यर्थी ने तकनीकी शिक्षा बोर्ड राजस्थान जोधपुर से डिप्लोमा उत्तीर्ण किया है जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा दिनांक 14.3.2016 को पारित आदेश जिसके आदेश क्रमांक एसीए/2016/8070 है, के द्वारा बारहवीं विज्ञान के समकक्ष है लेब टेक्नीशियन डिप्लोमा उत्तीर्ण कर पंजीयन राजस्थान वैराण्डिकल काँसिल में करवाया हुआ है। मेरे आवेदन पत्र को शामिल करके मुझे नियुक्ति प्रदान करावे।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय झारखण्ड स्टेट ओपन स्कूल से इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका प्रस्तुत की है, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद, अजमेर के अनुसार राज्य में सीनियर सैकण्डरी परीक्षा के समकक्ष नहीं होने के कारण आवेदन निरस्त किया गया है।	परीवेदना खारिज
2	NARENDRA SINGH	LTN120028	ओबीसी एनसीएल वर्ग में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	अभ्यर्थी द्वारा सीनियर सैकण्डरी परीक्षा अखिल भारतीय भुक्त शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण की है जो विज्ञापित की शर्तानुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर, राजस्थान द्वारा जारी अनुदेशिका-2020 के अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड नहीं होने के कारण अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थी नहीं है।	परीवेदना खारिज
3	BHUVNESH VERMA	LTN115721	दस्तावेज सत्यापन में 59.204 अंकों के साथ शामिल किया गया था। किन्तु अंतरिम वरीयता सूची में नाम नहीं आया जबकि अंतरिम वरीयता सूची की कट ऑफ ओबीसी सामान्य पुरुष वर्ग में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी अंतरिम वरीयता सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	अभ्यर्थी द्वारा सीनियर सैकण्डरी परीक्षा झारखण्ड स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण की है जो विज्ञापित की शर्तानुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर, राजस्थान द्वारा जारी अनुदेशिका-2020 के अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड नहीं होने के कारण अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थी नहीं है।	परीवेदना खारिज
4	PRIYA RANI	LTN118340	ईडब्ल्यूवर्ग वर्ग में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	अभ्यर्थी द्वारा सीनियर सैकण्डरी परीक्षा झारखण्ड स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण की है जो विज्ञापित की शर्तानुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर, राजस्थान द्वारा जारी अनुदेशिका-2020 के अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड नहीं होने के कारण अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थी नहीं है।	परीवेदना खारिज
5	JINESH BHAVSAR	LTN114315	टीएसपी जनरल वर्ग में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने हेतु परीवेदना।	अभ्यर्थी द्वारा सीनियर सैकण्डरी परीक्षा झारखण्ड स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण की है जो विज्ञापित की शर्तानुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर, राजस्थान द्वारा जारी अनुदेशिका-2020 के अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड नहीं होने के कारण अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु पात्र नहीं है।	परीवेदना खारिज

6	RAJPAL	LTN120069	सामान्य वर्ग में माननीय न्यायलय की सिविल रिट पिटिशन संख्या 2182/2022 की पालना में एवं कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	अभ्यर्थी द्वारा सीनियर सेकण्डरी परीक्षा हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टैक्नीकल एजुकेशन से उत्तीर्ण की है जो विज्ञप्ति की शर्तानुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर, राजस्थान द्वारा जारी अनुदेशिका-2020 के अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड नहीं होने के कारण अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थी नहीं है।	परिवेदना खारिज
7	JATIN SAAD	LTT117704	अभ्यर्थी के टीएसपी क्षेत्र के सामान्य वर्ग में कुल प्रतिशत अंक 39.096 है। एवं कटऑफ प्रतिशत 37.014 है। अतः कटऑफ से अधिक अंक होने के बाद भी सूची में नाम नहीं होने पर अंतिम सूची में नाम जुड़वाने हेतु परिवेदना।	अभ्यर्थी द्वारा सीनियर सेकण्डरी परीक्षा बोर्ड ऑफ स्कूल एण्ड टेक्नीकल एजुकेशन छत्तीसगढ़ से उत्तीर्ण की है जो विज्ञप्ति की शर्तानुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर, राजस्थान द्वारा जारी अनुदेशिका-2020 के अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड नहीं होने के कारण अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थी नहीं है।	परिवेदना खारिज
8	GEEGA RAM SAINI	LTN117503	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में अनुभव प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है जो दिनांक 18.10.2022 से 30.5.2023 तक का है, जो कोविड अवधि के बाहर व एक वर्ष से कम होने के कारण बोनस अंक देय नहीं है। अभ्यर्थी के प्रतिशत प्राप्तांक 39.835 है जबकि अन्तरिम चयन सूची में ओबीसी वर्ग में अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के प्रतिशत प्राप्तांक 53.841 है। कोई अन्य कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना खारिज
9	NEERAJ KUMARI	LTN118280	रविकान्त शर्मा आईडी LTN112098 की तरह लेब सहायक पद के अनुभव का लाभ देते हुये हुए प्रार्थी को लेब सहायक पद के अनुभव का लाभ देने हेतु परिवेदना	अभ्यर्थी 13.9.2021 से 30.9.2022 तक कोविड अवधि में लेब टैक्नीशियन का कार्य संपादित किया अतः नियमानुसार 15 बोनस अंकों का लाभ दिया गया है। कोई अन्य कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना खारिज
10	GAURAV SHARMA	LTN117248	देर से जारी अनुभव प्रमाण पत्र को आवेदन के साथ नहीं लगा सकने के कारण संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र के बोनस अंक देने बाबत।	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ दिनांक 30.6.2023 को अधीक्षक सवाई मानसिंह अस्पताल द्वारा 141 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अभ्यर्थी को न्युट्रि सुधार का अवसर प्रदान किया गया था जिसका लाभ वह नहीं उठा सका अतः अब अनुभव का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा।	परिवेदना खारिज
11	KAPILDEV GAUTAM	LTN114234	दस्तावेज सत्यापन की सूची में 20 प्रतिशत बोनस अंक थे जिसे 5 प्रतिशत कम कर दिया गया। बोनस अंकों की पुनः गणना कर 730 दिवसों का लाभ देकर रिजल्ट में संशोधन करने बाबत।	अभ्यर्थी को 17.09.2022 से 15.11.2022 की अनुभव अवधि के मध्य 266 दिवस वार्षिक कार्य दिवस बताते हुये 73025 रुपये से 47150 रुपये का भुगतान किया गया है की टिप्पणी अंकित की है। शेष भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार अभ्यर्थी को यदि शेष अवधि का भुगतान कर दिया जाता है तो भुगतान के अनुसार अनुभव अवधि का लाभ प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।	नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार यदि भुगतान हो गया है अथवा इस हेतु एन्टाइटलमेंट बनता है तो मान्य किया जावे। इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी से पत्र व्यवहार कर अद्यतन सूचना प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही की जाये।
12	PRAVEEN REGAR	LTN114971	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके कुल प्राप्तांक 58.349 प्रतिशत दर्शाये गये थे तथा जारी अंतरिम वरियता सूची में 63.349 प्रतिशत दर्शाये गये हैं जो कि न्युट्रिपूर्ण है। अतः अंतरिम वरियता सूची में अंकित प्राप्तांकों का संशोधित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के अधीक्षक महिला चिकित्सालय अजमेर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र में अनुबंध की मासिक/दैनिक/जॉब बेसिस पर भुगतान दर दिनांक 01.07.2021 से अंकित की गई थी जिसके आधार पर अभ्यर्थी को पूर्व में 15 बोनस अंक प्रदान किये गये थे। अनुभव जारीकर्ताओं द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनर्सत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है पुनर्सत्यापन उपरान्त जॉब रिपोर्ट के आधार पर बोनस अंक दिये जाने प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित

39

5

4

2

3

Yam 6

13	HARIKRISHNA PATIDAR	LTT113739	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में स्वयं के नाम का पेज एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में कुल प्रार्थकों प्रतिशत की गणना उनके द्वारा भरे गये डाटा के अनुसार की गई थी किन्तु अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जूंगरपुर द्वारा दिनांक 07.06.2022 से 13.06.2023 तक 371 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जबकि लैब टेक्नीशियन वर्गों में अनुभव अवधि की गणना दिनांक 30.05.2023 तक ही की गई जिससे अभ्यर्थी की अनुभव अवधि एक वर्ष से कम हो जाने के कारण दस्तावेज सत्यापन के समय दिये गये 10 बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। इस बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्रार्थकों 39.561 प्रतिशत बनते हैं जो कि टीएसपी अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्रार्थकों 42.312 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहा है। कोई अन्य कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
14	DILIP KUMAR	LTN115975	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों में स्वयं के कुल प्रार्थकों प्रतिशत 54.10 बताते हुये ओबीसी एनसीएल वर्ग की अंतिम कटऑफ से अधिक होते हुये भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम वरियता सूची में नहीं किया गया है। अतः स्वयं का चयन किये जाने बाबत निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों के कुल प्रार्थकों की गणना उनके द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जबकि अंतरिम वरियता सूची में कुल प्रार्थकों की गणना अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार की गई थी। अभ्यर्थी द्वारा अनुभव के संबंध में कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके अभाव में अभ्यर्थी को पूर्व में दिये गये 15 बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया गया है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्रार्थकों 39.143 प्रतिशत बनते हैं जो ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्रार्थकों 53.641 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहा।	परिवेदना खारिज
15	PINKY	LTN118048	अभ्यर्थी के सामान्य महिला श्रेणी में कुल प्रतिशत अंक 59.818 है। एवं कटऑफ प्रतिशत 55 है। अतः कटऑफ से अधिक अंक होने के बाद भी सूची में नाम नहीं होने पर अंतिम सूची में नाम जुड़वाने हेतु परिवेदना।	तत्समय अभ्यर्थी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़ चुरू द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में वेतन के संबंध में संयुक्त निदेशक, जोन बीकानेर द्वारा स्पष्ट टिप्पणी अंकित "आदिनाथ ईएनटी एवं जनरल हॉस्पिटल के द्वारा प्रस्तुत असत्यापित वेतन विपत्र के आधार पर जारी" के आधार पर अभ्यर्थी का बोनस शून्य किया गया था। अब अनुभव जारीकर्ता अधिकारी द्वारा अनुभव अवधि एवं वेतन विलों का पुनर्सत्यापन किये जाने उपरान्त जॉब रिपोर्ट के आधार पर 15 बोनस अंक के आधार पर बोनस अंक दिया जाना प्रस्तावित है। किन्तु पुनर्सत्यापन प्रमाण पत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चुरू द्वारा उक्त समान टिप्पणी को ही पुनः अंकित किया गया है।	समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि इस संस्थान के कार्यानुभव सम्बन्धी यदि अन्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं तो उनके लिये भी देय अनुभव की जाँच कर ली जाये। एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चुरू से पुष्टि कराई जाने के अध्याधीन परिणाम रोका जाये।
16	RAJESH	LTN117391	अंतरिम वरियता सूची में बोनस अंक 15 के स्थान पर 20 बोनस अंक देने बाबत।	अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित जारीकर्ता अधिकारी/प्रतिनिधि को कार्यालय से समस्त रिकार्ड सहित शीफ्ट में आमंत्रित कर जाँच कर लिया गया है। जिसमें अभ्यर्थी के 20 प्रतिशत बोनस अंकों का सत्यापन किया गया है जिसके आधार पर अभ्यर्थी के पूर्व में दिये गये 15 बोनस अंकों के स्थान पर 20 प्रतिशत बोनस अंक संशोधित किये जाने प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
17	MOHAMMAD ASLAM SHRIWANI	LTN115165	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के बोनस अंकों को संशोधित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित जारीकर्ता अधिकारी/प्रतिनिधि को कार्यालय से समस्त रिकार्ड सहित शीफ्ट में आमंत्रित कर जाँच कर लिया गया है। जिसमें अभ्यर्थी के 20 प्रतिशत बोनस अंकों का सत्यापन किया गया है जिसके आधार पर अभ्यर्थी के पूर्व में दिये गये 15 बोनस अंकों के स्थान पर 20 प्रतिशत बोनस अंक संशोधित किये जाने प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित

18	ANJU KUSHWAH	LTN113334	सामान्य कैटेगरी की जगह ईडब्ल्यूएस से आवेदन पत्र स्वीकार कर अंतिम सूची में नाम शामिल करवाने बाबत।	प्रार्थी द्वारा सामान्य श्रेणी में आवेदन किया गया एवं शुल्क भी सामान्य श्रेणी का ही भुगतान किया है एवं न्युट्रि सुधार का अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा अपेक्षित सुधार नहीं किया गया व दस्तावेज सत्यापन भी सामान्य श्रेणी में ही कराया गया। अतः आवेदित श्रेणी में अब परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है।	परिवेदना खारिज
19	KANAK MEWARA	LTN108388	रोके गये परिणाम को जारी करवाने बाबत।	अभ्यर्थी द्वारा ओबीसी एनसीएल वर्ग में आवेदन किया गया था। किन्तु आवेदन के साथ दस्तावेज में दिनांक 24.2023 को जारी ओबीसी क्रीमीलेयर का जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान शपथ पत्र प्रस्तुत कर स्वयं को ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर का सदस्य होना बताया है। ऑनलाईन परिवेदना में अभ्यर्थी ने दिनांक 1.9.2023 को जारी नोटरी सत्यापित शपथ पत्र एवं दिनांक 5.10.2023 को जारी ओबीसी एनसीएल वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। पूर्व में सहायक रेडियोग्राफर पद की परिवेदनाओं के निरस्तारण में कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.11.2022 एवं कार्मिक विभाग से इस बाबत पत्रावली पर प्राप्त निर्देशानुसार चूंकि अभ्यर्थी आवेदन के समय ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वर्ग की पात्रता नहीं रखता था अतः न्युट्रि सुधार के नाम पर कैटेगरी परिवर्तन नहीं किया जा सकता निर्णय लिया जा चुका है। माननीय न्यायालय द्वारा भी सामान्य प्रकरण रिट याचिका सं. 13614/2019 जयेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य में याचिकाकर्ता की कैटेगरी परिवर्तन की मांग को खारिज कर दिया है।	परिवेदना समिति की बैठक दिनांक 24.4.2024 में पूर्व में लिये गये निर्णयानुसार परिवेदना खारिज की जाती है।
20	AJJI KHAN	LTN120689	एमबीसी-एनसीएल संवर्ग में प्रार्थी की कटऑफ 44.926 प्रतिशत है। जबकि विभाग द्वारा जारी मेरीट 44.038 है। अतः कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	अभ्यर्थी द्वारा करा गया आवेदन पत्र पेंडिंग अवस्था होने के कारण निर्धारित अवधि में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन नहीं किया जा सका। माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को बाद में पेंडेन्सी वलीयर करने का अवसर प्रदान किया गया था जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी द्वारा एमबीसी एनसीएल जातिवर्ग में आवेदन किया गया एवं दिनांक 26.09.2023 को दस्तावेज कराया गया। दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थी का जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल करते हुये भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया। अभ्यर्थी के कुल प्रतिशत प्राप्तांक 42.760 बनते हैं जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 53.641 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहा। अभ्यर्थी ने स्वयं का जातिवर्ग एमबीसी एनसीएल कराना चाहा है जो नहीं किया जा सकता है।	परिवेदना खारिज
21	NIRAJ KUMAR	LTN112975	ओबीसी सीएल की जगह संलग्न ओबीसी एनसीएल को स्वीकार कर फॉर्म में सुधार करते हुये सूची में नाम दर्ज करने बाबत।	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय 20.08.2023 का जारी ओबीसी क्रीमीलेयर वर्ग का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया गया और दस्तावेज सत्यापन के दौरान भी अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 20.08.2023 को जारी ओबीसी क्रीमीलेयर वर्ग का प्रमाण पत्र ही पुनः प्रस्तुत किया गया जो कि आवेदन से पूर्व ही जारी हो चुका था इस बात को सिद्ध करता है कि अभ्यर्थी आवेदन के समय ओबीसी नॉनक्रीमीलेयर श्रेणी का सदस्य नहीं था और उसने जानबूझकर सामान्य/ओबीसी सीएल श्रेणी की जगह ओबीसी एनसीएल श्रेणी का आवेदन किया एवं शुल्क राशि भी स्वयं की श्रेणी की नहीं जमा कराई। अतः कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17.10.2022 के क्रम में अभ्यर्थी की परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। इस प्रकार परिवेदना निरस्तारण समिति की बैठक दिनांक 24.4.2024 में लिये गये निर्णयानुसार परिवेदना खारिज की जाती है।	परिवेदना खारिज

22	VIMLA PURBIA	LTN118506	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, केवल दिनांक 08.10.2023 का जारी एमबीसी एनसीएल का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन एमबीसी एनसीएल कटेगरी से किया गया था तथा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन में दिनांक 15.09.2016 का जारी एमबीसी एनसीएल का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया तथा एमबीसी एनसीएल हेतु शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया किन्तु दस्तावेज सत्यापनकर्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र को देखते हुये अभ्यर्थी की श्रेणी परिवर्तन कर ओबीसी एनसीएल कर दिया गया जिसके फलस्वरूप ओबीसी एनसीएल की कटऑफ अधिक होने के कारण अंतरिम चयन सूची में स्थान नहीं बना पाई किन्तु अभ्यर्थिया का वर्ग ओबीसी एनसीएल के स्थान पर एमबीसी एनसीएल ही होना चाहिये था जिसका नवीनतम प्रमाण पत्र अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः अभ्यर्थिया का वर्ग ओबीसी एनसीएल के स्थान पर एमबीसी एनसीएल परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
23	VIKASH KUMAR GURIAR	LTN115038	प्राथी एमबीसी-एनसीएल वर्ग से संबंधित है। जबकि फॉर्म में गलती से ओबीसी-एनसीएल हो गई है को संशोधित करने बाबत। ताकि प्राथी का चयन एमबीसी-एनसीएल में हो सके।	अभ्यर्थी द्वारा ओबीसी एनसीएल में आवेदन किया गया था किन्तु विभाग द्वारा त्रुटि सुधार किये जाने के संबंध में दिनांक 25.09.2023 को जारी पत्र के माध्यम से त्रुटि सुधार हेतु एक और अवसर प्रदान किये जाने के क्रम में अभ्यर्थी श्री विकास कुमार गुर्जर द्वारा एमबीसी एनसीएल श्रेणी में दस्तावेज सत्यापन कराया गया था जिसके क्रम में अभ्यर्थी का जातिवर्ग एमबीसी एनसीएल किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
24	GOVIND DAYMA	LTN116354	विवाह दिनांक 14.01.2020 की जगह 14.12.2020 संशोधन करवाने बाबत।	यदि अभ्यर्थी की चयनोपरान्त नियुक्ति होती है तो विवाह रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
25	MOHAMMAD FAIZAN MANSURI	LTN117283	प्राथी के नाम में MOHAMMAD FAIZAN के स्थान पर MOHAMMAD FAIZAN MANSURI सुधार करने बाबत।	अभ्यर्थी के चयन की स्थिति में मूल दस्तावेजों के आधार पर संशोधन की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
26	BHUPENDRA SINGH CHOUDHARY	LTN115446	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नाम Bhupendra Singh के स्थान पर Bhupendra singh Choudhary संशोधित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के चयन की स्थिति में मूल दस्तावेजों के आधार पर संशोधन की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
27	KAVITA PATIDAR	LTT110805	प्राथी के वरियता सूची में रिमार्क TSP (SPECIAL BONA FIDE CERTIFICATE) के संदर्भ में बोनफाईड को स्वीकार कर रिमार्क हटवाने हेतु परिवेदना।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में झुंजरपुर जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया गया था अभ्यर्थिया का अंतरिम वरियता सूची में चयन विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ दिनांक 29.08.2023 का जारी विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जिसके स्वीकार रिमार्क हटाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
28	DEEPESH VERMA	LTN111214	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं की सीनियर सैकण्डरी की वर्ष 2017 की अंकतालिका संलग्न कर आवेदन के समय प्रस्तुत 2016 की अंकतालिका के स्थान पर नवीन संलग्न अंकतालिका को स्वीकार कर अंक संशोधित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते समय एवं दस्तावेज सत्यापन वर्ष 2016 की जारी अंकतालिका द्वारा ही करवाया गया है विभाग द्वारा त्रुटि सुधार हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा कोई सुधार नहीं किया गया है अब अंक संशोधित किया जाना संभव नहीं है।	परिवेदना खारिज
29	RAKESH KUMAR	LTN119992	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने से मान्य नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा समान प्रकरण डी.बी. याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार में निर्णय पारित कर याचिका को खारिज कर दिया है। फलस्वरूप बोनस अंकों का लाभ नहीं मिलने से अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 47.130 प्रतिशत बनते हैं जो कि ओबीसी एनसीएल श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 53.841 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहा है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
30	OM PRAKASH REGAR	LTN104415	अंतिम सूची में नाम सम्मिलित करने बाबत।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 44.800 प्रतिशत हैं जो अनुसूचित जाति सामान्य श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 45.179 से कम होने के कारण चयन सूची में स्थान प्राप्त कर सकने में असफल रहा है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	परिवेदना खारिज

31	POOJA KUMARI ANKHERIYA	LTN101259	अनुसूचित जाति महिला वर्ग में रिक्त/द्वितीय सूची में आवेदन पत्र स्वीकार कर अंतिम सूची में नाम शामिल करवाने बाबत।	अभ्यर्थी के प्रतिशत प्राप्तांक 44.748 है जो अनुसूचित जाति महिला वर्ग की कटऑफ 46.097 से कम होने के कारण चयन से वंचित है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	परिवेदना खारिज
32	NEHA	LTN114005	परिवेदना संलग्न नहीं है। सूची संलग्न है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाईन परिवेदना के साथ दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम में जहाँ अभ्यर्थी का नाम अंकित है उस पृष्ठ की प्रति प्रस्तुत की है। अभ्यर्थी के प्रतिशत प्राप्तांक 55.586 है जबकि अनारक्षित महिला वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्रतिशत प्राप्तांक 55.654 है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	परिवेदना खारिज
33	Ms. ROMANA ANSARI	LTN119413	प्रार्थी ने माननीय न्यायालय द्वारा पारित आवेशों की पालना में दिनांक 31.08.2023 को दस्तावेज सत्यापन करवाया था। इसके बावजूद ओबीसी महिला वर्ग में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थी के सीनियर सेकण्डरी में 500 में से 318 अंक हैं जो 63.6 प्रतिशत है तथा लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा में 1600 में से 1282 अंक हैं जो 79.875 प्रतिशत है। सीनियर सेकण्डरी एवं डिप्लोमा के प्रतिशत अंकों का औसत 71.238 प्रतिशत का 70 प्रतिशत वेटेज 49.866 प्रतिशत है। अभ्यर्थी को अनुभव प्राप्त नहीं है। ओबीसी महिला वर्ग की अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्रतिशत प्राप्तांक 51.282 है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं।	परिवेदना खारिज
34	DEVILAL TELI	LTT112392	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर दस्तावेज में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.878 का उल्लेख करते हुये स्वयं के औसत प्राप्तांक प्रतिशत टीएसपी अनारक्षित से अधिक होते हुये अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः सम्मिलित किये जाने का निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे डाटा के अनुसार थी जिसका दस्तावेज सत्यापन उपरान्त सभी भर्तियों हेतु सभी अभ्यर्थियों हेतु समान रूप से निम्नानुसार गणना की गई है:- अभ्यर्थी के सीनियर सेकण्डरी परीक्षा के प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक योग्यता के कुल प्राप्तांक का प्रतिशत को जोड़कर उनके औसत प्रतिशत प्राप्तांक का 70 प्रतिशत वेटेज देकर एवं इनमें कोई बोनस अंक है तो वरियता सूची तैयार की जाती है। अभ्यर्थी के सीनियर सेकण्डरी की परीक्षा में 54.923 प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक परीक्षा के कुल प्राप्तांक का प्रतिशत 59.517 है जिनको जोड़कर अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 57.22 प्राप्तांक प्रतिशत बनते हैं एवं औसत प्राप्तांक प्रतिशत के 70 प्रतिशत वेटेज के आधार पर अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 40.054 प्रतिशत बनते हैं जो कि टीएसपी अनारक्षित जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 42.312 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन से वंचित रहा। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
35	SHIFA BANO	LTN118137	कोर्ट द्वारा भरे गये ऑफलाईन फार्म को मान्यता प्रदान करने हेतु परिवेदना।	अभ्यर्थी को पूर्व से ही माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा चुका है किन्तु अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 44.664 प्रतिशत बनते हैं जो कि अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 59.585 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम चयन सूची में स्थान बनाने में असफल रहा है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
36	KARAN SINGH SAMBHRIYA	LTN118007	प्रार्थी के अनुसूचित जाति में योग्यता प्रतिशत 67.98 है। सूची में नाम नहीं होने का कारण स्पष्ट करवाने हेतु परिवेदना।	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशतों की गणना अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी। जिसमें अभ्यर्थी को 30 प्रतिशत बोनस अंकों के साथ 67.98 प्रतिशत अंक प्रदान किये गये थे किन्तु अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल में नहीं होने के कारण माननीय न्यायालय में दायर याचिका संख्या 15214/2023 गांधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 की पालना में अनुभव अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 37.987 प्रतिशत बनते हैं जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 45.179 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन से वंचित रहा। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।

38 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 19/20 21/22 23/24 25/26 27/28 29/30 31/32 33/34 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54 55/56 57/58 59/60 61/62 63/64 65/66 67/68 69/70 71/72 73/74 75/76 77/78 79/80 81/82 83/84 85/86 87/88 89/90 91/92 93/94 95/96 97/98 99/100 101/102 103/104 105/106 107/108 109/110 111/112 113/114 115/116 117/118 119/120 121/122 123/124 125/126 127/128 129/130 131/132 133/134 135/136 137/138 139/140 141/142 143/144 145/146 147/148 149/150 151/152 153/154 155/156 157/158 159/160 161/162 163/164 165/166 167/168 169/170 171/172 173/174 175/176 177/178 179/180 181/182 183/184 185/186 187/188 189/190 191/192 193/194 195/196 197/198 199/200 201/202 203/204 205/206 207/208 209/210 211/212 213/214 215/216 217/218 219/220 221/222 223/224 225/226 227/228 229/230 231/232 233/234 235/236 237/238 239/240 241/242 243/244 245/246 247/248 249/250 251/252 253/254 255/256 257/258 259/260 261/262 263/264 265/266 267/268 269/270 271/272 273/274 275/276 277/278 279/280 281/282 283/284 285/286 287/288 289/290 291/292 293/294 295/296 297/298 299/300 301/302 303/304 305/306 307/308 309/310 311/312 313/314 315/316 317/318 319/320 321/322 323/324 325/326 327/328 329/330 331/332 333/334 335/336 337/338 339/340 341/342 343/344 345/346 347/348 349/350 351/352 353/354 355/356 357/358 359/360 361/362 363/364 365/366 367/368 369/370 371/372 373/374 375/376 377/378 379/380 381/382 383/384 385/386 387/388 389/390 391/392 393/394 395/396 397/398 399/400 401/402 403/404 405/406 407/408 409/410 411/412 413/414 415/416 417/418 419/420 421/422 423/424 425/426 427/428 429/430 431/432 433/434 435/436 437/438 439/440 441/442 443/444 445/446 447/448 449/450 451/452 453/454 455/456 457/458 459/460 461/462 463/464 465/466 467/468 469/470 471/472 473/474 475/476 477/478 479/480 481/482 483/484 485/486 487/488 489/490 491/492 493/494 495/496 497/498 499/500 501/502 503/504 505/506 507/508 509/510 511/512 513/514 515/516 517/518 519/520 521/522 523/524 525/526 527/528 529/530 531/532 533/534 535/536 537/538 539/540 541/542 543/544 545/546 547/548 549/550 551/552 553/554 555/556 557/558 559/560 561/562 563/564 565/566 567/568 569/570 571/572 573/574 575/576 577/578 579/580 581/582 583/584 585/586 587/588 589/590 591/592 593/594 595/596 597/598 599/600 601/602 603/604 605/606 607/608 609/610 611/612 613/614 615/616 617/618 619/620 621/622 623/624 625/626 627/628 629/630 631/632 633/634 635/636 637/638 639/640 641/642 643/644 645/646 647/648 649/650 651/652 653/654 655/656 657/658 659/660 661/662 663/664 665/666 667/668 669/670 671/672 673/674 675/676 677/678 679/680 681/682 683/684 685/686 687/688 689/690 691/692 693/694 695/696 697/698 699/700 701/702 703/704 705/706 707/708 709/710 711/712 713/714 715/716 717/718 719/720 721/722 723/724 725/726 727/728 729/730 731/732 733/734 735/736 737/738 739/740 741/742 743/744 745/746 747/748 749/750 751/752 753/754 755/756 757/758 759/760 761/762 763/764 765/766 767/768 769/770 771/772 773/774 775/776 777/778 779/780 781/782 783/784 785/786 787/788 789/790 791/792 793/794 795/796 797/798 799/800 801/802 803/804 805/806 807/808 809/810 811/812 813/814 815/816 817/818 819/820 821/822 823/824 825/826 827/828 829/830 831/832 833/834 835/836 837/838 839/840 841/842 843/844 845/846 847/848 849/850 851/852 853/854 855/856 857/858 859/860 861/862 863/864 865/866 867/868 869/870 871/872 873/874 875/876 877/878 879/880 881/882 883/884 885/886 887/888 889/890 891/892 893/894 895/896 897/898 899/900 901/902 903/904 905/906 907/908 909/910 911/912 913/914 915/916 917/918 919/920 921/922 923/924 925/926 927/928 929/930 931/932 933/934 935/936 937/938 939/940 941/942 943/944 945/946 947/948 949/950 951/952 953/954 955/956 957/958 959/960 961/962 963/964 965/966 967/968 969/970 971/972 973/974 975/976 977/978 979/980 981/982 983/984 985/986 987/988 989/990 991/992 993/994 995/996 997/998 999/1000 1001/1002 1003/1004 1005/1006 1007/1008 1009/1010 1011/1012 1013/1014 1015/1016 1017/1018 1019/1020 1021/1022 1023/1024 1025/1026 1027/1028 1029/1030 1031/1032 1033/1034 1035/1036 1037/1038 1039/1040 1041/1042 1043/1044 1045/1046 1047/1048 1049/1050 1051/1052 1053/1054 1055/1056 1057/1058 1059/1060 1061/1062 1063/1064 1065/1066 1067/1068 1069/1070 1071/1072 1073/1074 1075/1076 1077/1078 1079/1080 1081/1082 1083/1084 1085/1086 1087/1088 1089/1090 1091/1092 1093/1094 1095/1096 1097/1098 1099/1100 1101/1102 1103/1104 1105/1106 1107/1108 1109/1110 1111/1112 1113/1114 1115/1116 1117/1118 1119/1120 1121/1122 1123/1124 1125/1126 1127/1128 1129/1130 1131/1132 1133/1134 1135/1136 1137/1138 1139/1140 1141/1142 1143/1144 1145/1146 1147/1148 1149/1150 1151/1152 1153/1154 1155/1156 1157/1158 1159/1160 1161/1162 1163/1164 1165/1166 1167/1168 1169/1170 1171/1172 1173/1174 1175/1176 1177/1178 1179/1180 1181/1182 1183/1184 1185/1186 1187/1188 1189/1190 1191/1192 1193/1194 1195/1196 1197/1198 1199/1200 1201/1202 1203/1204 1205/1206 1207/1208 1209/1210 1211/1212 1213/1214 1215/1216 1217/1218 1219/1220 1221/1222 1223/1224 1225/1226 1227/1228 1229/1230 1231/1232 1233/1234 1235/1236 1237/1238 1239/1240 1241/1242 1243/1244 1245/1246 1247/1248 1249/1250 1251/1252 1253/1254 1255/1256 1257/1258 1259/1260 1261/1262 1263/1264 1265/1266 1267/1268 1269/1270 1271/1272 1273/1274 1275/1276 1277/1278 1279/1280 1281/1282 1283/1284 1285/1286 1287/1288 1289/1290 1291/1292 1293/1294 1295/1296 1297/1298 1299/1300 1301/1302 1303/1304 1305/1306 1307/1308 1309/1310 1311/1312 1313/1314 1315/1316 1317/1318 1319/1320 1321/1322 1323/1324 1325/1326 1327/1328 1329/1330 1331/1332 1333/1334 1335/1336 1337/1338 1339/1340 1341/1342 1343/1344 1345/1346 1347/1348 1349/1350 1351/1352 1353/1354 1355/1356 1357/1358 1359/1360 1361/1362 1363/1364 1365/1366 1367/1368 1369/1370 1371/1372 1373/1374 1375/1376 1377/1378 1379/1380 1381/1382 1383/1384 1385/1386 1387/1388 1389/1390 1391/1392 1393/1394 1395/1396 1397/1398 1399/1400 1401/1402 1403/1404 1405/1406 1407/1408 1409/1410 1411/1412 1413/1414 1415/1416 1417/1418 1419/1420 1421/1422 1423/1424 1425/1426 1427/1428 1429/1430 1431/1432 1433/1434 1435/1436 1437/1438 1439/1440 1441/1442 1443/1444 1445/1446 1447/1448 1449/1450 1451/1452 1453/1454 1455/1456 1457/1458 1459/1460 1461/1462 1463/1464 1465/1466 1467/1468 1469/1470 1471/1472 1473/1474 1475/1476 1477/1478 1479/1480 1481/1482 1483/1484 1485/1486 1487/1488 1489/1490 1491/1492 1493/1494 1495/1496 1497/1498 1499/1500 1501/1502 1503/1504 1505/1506 1507/1508 1509/1510 1511/1512 1513/1514 1515/1516 1517/1518 1519/1520 1521/1522 1523/1524 1525/1526 1527/1528 1529/1530 1531/1532 1533/1534 1535/1536 1537/1538 1539/1540 1541/1542 1543/1544 1545/1546 1547/1548 1549/1550 1551/1552 1553/1554 1555/1556 1557/1558 1559/1560 1561/1562 1563/1564 1565/1566 1567/1568 1569/1570 1571/1572 1573/1574 1575/1576 1577/1578 1579/1580 1581/1582 1583/1584 1585/1586 1587/1588 1589/1590 1591/1592 1593/1594 1595/1596 1597/1598 1599/1600 1601/1602 1603/1604 1605/1606 1607/1608 1609/1610 1611/1612 1613/1614 1615/1616 1617/1618 1619/1620 1621/1622 1623/1624 1625/1626 1627/1628 1629/1630 1631/1632 1633/1634 1635/1636 1637/1638 1639/1640 1641/1642 1643/1644 1645/1646 1647/1648 1649/1650 1651/1652 1653/1654 1655/1656 1657/1658 1659/1660 1661/1662 1663/1664 1665/1666 1667/1668 1669/1670 1671/1672 1673/1674 1675/1676 1677/1678 1679/1680 1681/1682 1683/1684 1685/1686 1687/1688 1689/1690 1691/1692 1693/1694 1695/1696 1697/1698 1699/1700 1701/1702 1703/1704 1705/1706 1707/1708 1709/1710 1711/1712 1713/1714 1715/1716 1717/1718 1719/1720 1721/1722 1723/1724 1725/1726 1727/1728 1729/1730 1731/1732 1733/1734 1735/1736 1737/1738 1739/1740 1741/1742 1743/1744 1745/1746 1747/1748 1749/1750 1751/1752 1753/1754 1755/1756 1757/1758 1759/1760 1761/1762 1763/1764 1765/1766 1767/1768 1769/1770 1771/1772 1773/1774 1775/1776 1777/1778 1779/1780 1781/1782 1783/1784 1785/1786 1787/1788 1789/1790 1791/1792 1793/1794 1795/1796 1797/1798 1799/1800 1801/1802 1803/1804 1805/1806 1807/1808 1809/1810 1811/1812 1813/1814 1815/1816 1817/1818 1819/1820 1821/1822 1823/1824 1825/1826 1827/1828 1829/1830 1831/1832 1833/1834 1835/1836 1837/1838 1839/1840 1841/1842 1843/1844 1845/1846 1847/1848 1849/1850 1851/1852 1853/1854 1855/1856 1857/1858 1859/1860 1861/1862 1863/1864 1865/1866 1867/1868 1869/1870 1871/1872 1873/1874 1875/1876 1877/1878 1879/1880 1881/1882 1883/1884 1885/1886 1887/1888 1889/1890 1891/1892 1893/1894 1895/1896 1897/1898 1899/1900 1901/1902 1903/1904 1905/1906 1907/1908 1909/1910 1911/1912 1913/1914 1915/1916 1917/1918 1919/1920 1921/1922 1923/1924 1925/1926 1927/1928 1929/1930 1931/1932 1933/1934 1935/1936 1937/1938 1939/1940 1941/1942 1943/1944 1945/1946 1947/1948 1949/1950 1951/1952 1953/1954 1955/1956 1957/1958 1959/1960 1961/1962 1963/1964 1965/1966 1967/1968 1969/1970 1971/1972 1973/1974 1975/1976 1977/1978 1979/1980 1981/1982 1983/1984 1985/1986 1987/1988 1989/1990 1991/1992 1993/1994 1995/1996 1997/1998 1999/2000 2001/2002 2003/2004 2005/2006 2007/2008 2009/2010 2011/2012 2013/2014 2015/2016 2017/2018 2019/2020 2021/2022 2023/2024 2025/2026 2027/2028 2029/2030 2031/2032 2033/2034 2035/2036 2037/2038 2039/2040 2041/2042 2043/2044 2045/2046 2047/2048 2049/2050 2051/2052 2053/2054 2055/2056 2057/2058 2059/2060 2061/2062 2063/2064 2065/2066 2067/2068 2069/2070 2071/2072 2073/2074 2075/2076 2077/2078 2079/2080 2081/2082 2083/2084 2085/2086 2087/2088 2089/2090 2091/2092 2093/2094 2095/2096 2097/2098 2099/2100 2101/2102 2103/2104 2105/2106 2107/2108 2109/2110 2111/2112 2113/2114 2115/2116 2117/2118 2119/2120 2121/2122 2123/2124 2125/2126 2127/2128 2129/2130 2131/2132 2133/2134 2135/2136 2137/2138 2139/2140 2141/2142 2143/2144 2145/2146 2147/2148 2149/2150 2151/2152 2153/2154 2155/2156 2157/2158 2159/2160 2161/2162 2163/2164 2165/2166 2167/2168 2169/2170 2171/2172 2173/2174 2175/2176 2177/2178 2179/2180 2181/2182 2183/2184 2185/2186 2187/2188 2189/2190 2191/2192 2193/2194 2195/2196 2197/2198 2199/2200 2201/2202 2203/2204 2205/2206 2207/2208 2209/2210 2211/2212 2213/2214 2215/2216 2217/2218 2219/2220 2221/2222 2223/2224 2225/2226 2227/2228 2229/2230 2231/2232 2233/2234 2235/2236 2237/2238 2239/2240 2241/2242 2243/2244 2245/2246 2247/2248 2249/2250 2251/2252 2253/2254 2255/2256 2257/2258 2259/2260 2261/2262 2263/2264 2265/2266 2267/2268 2269/2270 2271/2272 2273/2274 2275/2276 2277/2278 2279/2280 2281/2282 22

42	MANISH KUMAR SAINI	LTN108404	अभ्यर्थी के ओबीसी-एनसीएल श्रेणी में कुल प्रतिशत अंक 53.713 है। एवं कटऑफ प्रतिशत 53.641 है। अतः कटऑफ से अधिक अंक होने के बाद भी सूची में नाम नहीं होने पर अंतिम सूची में नाम जुड़वाने हेतु परिशेदना।	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे डाटा के अनुसार थी जिसका दस्तावेज सत्यापन उपरान्त सभी भर्तियों हेतु सभी अभ्यर्थियों हेतु समान रूप से निम्नानुसार गणना की गई है:- अभ्यर्थी के सीनियर सैकण्डरी परीक्षा के प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक योग्यता के कुल प्राप्तांक का प्रतिशत को जोड़कर उनके औसत प्रतिशत प्राप्तांकों का 70 प्रतिशत वेटेज देकर एवं इनमें कोई बोनस अंक है तो वरियता सूची तैयार की जाती है। अभ्यर्थी के सीनियर सैकण्डरी की परीक्षा में 85.850 प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक परीक्षा के कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 67.250 है जिनको जोड़कर अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 76.550 प्राप्तांक प्रतिशत बनते हैं एवं औसत प्राप्तांक प्रतिशत के 70 प्रतिशत वेटेज के आधार पर अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 53.585 प्रतिशत बनते हैं जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 53.641 प्रतिशत से कम होने के कारण अन्तरिम वरियता सूची में चयन से वंचित रहा। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
43	ARSHI KHANAM	LTN114566	अभ्यर्थी के ओबीसी-एनसीएल महिला श्रेणी में कुल प्रतिशत अंक 51.44 है। एवं कटऑफ प्रतिशत 51.282 है। अतः कटऑफ से अधिक अंक होने के बाद भी सूची में नाम नहीं होने पर अंतिम सूची में नाम जुड़वाने हेतु परिशेदना।	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे डाटा के अनुसार थी जिसका दस्तावेज सत्यापन उपरान्त सभी भर्तियों हेतु सभी अभ्यर्थियों हेतु समान रूप से निम्नानुसार गणना की गई है:- अभ्यर्थी के सीनियर सैकण्डरी परीक्षा के प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक योग्यता के कुल प्राप्तांक का प्रतिशत को जोड़कर उनके औसत प्रतिशत प्राप्तांकों का 70 प्रतिशत वेटेज देकर एवं इनमें कोई बोनस अंक है तो जोड़कर वरियता सूची तैयार की जाती है। अभ्यर्थी के सीनियर सैकण्डरी की परीक्षा में 71.400 प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक परीक्षा के कुल प्राप्तांकों का 74.920 प्रतिशत है जिनको जोड़कर अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 73.160 प्राप्तांक प्रतिशत बनते हैं एवं औसत प्राप्तांक प्रतिशत के 70 प्रतिशत वेटेज के आधार पर अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 51.212 प्रतिशत बनते हैं जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 51.282 प्रतिशत से कम होने के कारण अन्तरिम वरियता सूची में चयन से वंचित रहा। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिशेदना खारिज
44	RAHUL PADIRWAL	LTN115744	प्राथी ने अपना अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक 1926 दिनांक 24.06.2023 को संशोधित करवाकर पुनः क्रमांक 2621 दिनांक 07.09.2023 (कुल दिवस 367) प्रस्तुत कर अनुभव दिवसों में संशोधन कर 10 बोनस अंक दिया जाकर अंतिम सूची में शामिल करने हेतु परिशेदना दी है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे डाटा के अनुसार थी जिसका दस्तावेज सत्यापन उपरान्त सभी भर्तियों हेतु सभी अभ्यर्थियों हेतु समान रूप से निम्नानुसार गणना की गई है:- अभ्यर्थी के सीनियर सैकण्डरी परीक्षा के प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक योग्यता के कुल प्राप्तांक का प्रतिशत को जोड़कर उनके औसत प्रतिशत प्राप्तांकों का 70 प्रतिशत वेटेज देकर एवं इनमें कोई बोनस अंक है तो जोड़कर वरियता सूची तैयार की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन में जे.के. लोन चिकित्सालय क्रोटा द्वारा दिनांक 28.05.2022 तक 30.05.2023 तक कुल 314 दिवस (मुगलान दिवसों के आधार) का अनुभव जारी किया गया है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को पूर्व में दिये गये 10 प्रतिशत बोनस अंको को शून्य कर दिया गया है। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 40.849 प्रतिशत बनते हैं जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 45.179 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहा है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं।	परिशेदना खारिज

48	HITESH VYAS	LTN117581	मेरा दस्तावेज सत्यापन सूची में नाम नहीं है। मैंने दस्तावेज सत्यापन हेतु परिवेदना भी लगाई थी। मैं 13 वर्षों से सरकारी सेवा में कार्यरत हूँ जिसका मैंने अनुभव प्रमाण पत्र भी लगाया था। मेरी समस्या का समाधान किया जाये।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में कोई अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 43.107 प्रतिशत बनते हैं जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनका जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी को दस्तावेज हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। तदोपरान्त अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 14.09.2023 को दस्तावेज सत्यापन हेतु अपनी परिवेदना प्रस्तुत की जिसमें अभ्यर्थी द्वारा आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर द्वारा दिनांक 30.08.2023 को 28.09.2010 से 08.09.2014 तक कुल 03 वर्ष 11 माह का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन दिनांक 27.08.2023 से पूर्व का होने के कारण माननीय न्यायालय में दायर याचिका संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 के अनुसार उक्त अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
49	JAMANA SHANKER LOUHAR	LTN108124	अभ्यर्थी द्वारा फार्म भरते समय अनुभव प्रमाण पत्र जोड़ नहीं पाया। अनुभव प्रमाण पत्र को शामिल करते हुये दस्तावेज सत्यापन की सूची में नाम जुड़वाने बाबत।	आवेदक को ऑनलाईन आवेदन के समय अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करते हुए सूचना ऑनलाईन आवेदन में अंकित करनी चाहिए थी। अब अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर दस्तावेज सत्यापन किया जाना संभव नहीं है।	परिवेदना खारिज
50	Rajni	LTN101261	अभ्यर्थी द्वारा कोई ऑनलाईन परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थी के प्रतिशत प्राप्तांक 42.725 है। जो अनुसूचित जाति महिला वर्ग में दस्तावेज सत्यापन की कटआफ प्रतिशत 44.256 से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित नहीं है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना खारिज
51	SHINU MATHEW	LTN116646	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अभ्यर्थी दिनांक 21.08.2020 से 30.05.2023 तक लैब टेक्नीशियन के पद पर नवीन चिकित्सालय मेडिकल परिसर कोटा में कार्य किया है किन्तु अधिकांक महोदय द्वारा आरपीएमसी के दिनांक 10.08.2022 से 30.05.2023 तक 276 दिवस का ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जबकि 21.08.2020 से 09.06.2022 तक 589 कुल 865 दिवस होते हैं। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं को बानस अंक 20 प्रदान किये जोन का निवेदन किया है।	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में चूंकि अभ्यर्थी का आरपीएमसी में पंजीकरण दिनांक 10.08.2022 को हुआ है जिसके कारण दिनांक 10.08.2022 से पूर्व का अनुभव का लाभ देय नहीं है। जिसके अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 47.538 प्रतिशत बनते हैं जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनारक्षित महिला वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 53.842 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
52	MS.JAMANA SAINI	LTN119561	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ स्वयं की व्यावसायिक योग्यता की अंकतालिकाएं संलग्न की हैं। अभ्यर्थी द्वारा भरे गये डाटा के अनुसार कुल प्राप्तांक 42.161 प्रतिशत बनते हैं जो कि ओबीसी एनसीएल महिला वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 49.284 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं।	परिवेदना खारिज

Handwritten signatures and marks are present below the table, including a large '39' and several illegible signatures.

53	KAMAL KISHOR KUMAWAT	LTN117154	<p>आरपीएमसी द्वारा 2017 में समस्त निजी विश्वविद्यालयों के मान्यता के संबंध में पैरामेट्रिकल रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया था जिसमें निम्न यूनिवर्सिटी भी थी, जिसके उत्तर में प्रार्थी द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। (रिट पिटीशन संख्या 19106/2017) यह मामला उच्च न्यायालय में लंबित था। इसके पश्चात माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी निजी विश्वविद्यालयों की याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिनांक 12.01.2023 को आरपीएमसी को आदेश जारी किया। जिसमें निजी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्रों का "वन टाईम एग्जाम" लिया जाये और उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का आरपीएमसी में फिर से रजिस्ट्रेशन किया जाए। इस आदेश की पालना में मेरा भी "वन टाईम एग्जाम" लिया जिसे प्रार्थी ने सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया। इसके पश्चात प्रार्थी को आरपीएमसी द्वारा दिनांक 28.06.2023 को फिर से रजिस्ट्रेशन किया। इसके पश्चात प्रार्थी ने भर्ती की सभी शर्तों को पूरा करते हुए आवेदन किया। प्रार्थी द्वारा चाहा गया है कि उसका अनुभव स्वीकार किया जाये। अब इसके बाद कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की है।</p>	<p>अभ्यर्थी का पंजीयन राजस्थान पैरामेट्रिकल कौन्सिल में दिनांक 28.6.2023 को हुआ है। अतः पंजीयन से पूर्व की संविदा अवधि के बोनस अंक देय नहीं हैं। अभ्यर्थी के प्रतिशत प्राप्तांक 42.420 हैं जो ओबीसी वर्ग की कटऑफ 53.641 से कम होने के कारण चयन से वंचित है। माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम राज्य में अपना निर्णय दिनांक पारित कर रजिस्ट्रेशन से पूर्व प्राप्त अनुभव की मांग को खारिज कर दिया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।</p>	परिवेदना खारिज
54	MOHAMMAD ARSAD	LTN119446	<p>ओबीसी श्रेणी में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में स्वयं ने 112 दिवस का कोविड अवधि का अनुभव अंकित किया है। अतः अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन में उसके स्वयं के द्वारा भरे गये विवरण के आधार पर आगंतिक किया गया था जिसके आधार पर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं को बोनस अंक देते हुए दस्तावेज सत्यापन में स्थान प्राप्त कर लिया गया था। किन्तु दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी का अनुभव निजी क्षेत्र का होने व अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी नहीं होना पाया गया। साथ ही यह भी कि आर.पी.एम. सी से सत्यापन उपरान्त अभ्यर्थी का आर.पी.एम.सी. पंजीयन 11.11.2022 को होने से रिट याचिका संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय के अनुरूप पंजीयन से पूर्व की अवधि के अनुभव का लाम भी नहीं दिया जा सकता। अतः बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 42.605 होते हैं जो इनके जातिवर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम होने के कारण चयन से वंचित रहा है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।</p>	परिवेदना खारिज
55	MOHD IMRAN	LTN120064	<p>आरपीएमसी द्वारा 2017 में समस्त निजी विश्वविद्यालयों के मान्यता के संबंध में पैरामेट्रिकल रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया था जिसमें निम्न यूनिवर्सिटी भी थी, जिसके उत्तर में प्रार्थी द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। (रिट पिटीशन संख्या 19106/2017) यह मामला उच्च न्यायालय में लंबित था। इसके पश्चात माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी निजी विश्वविद्यालयों की याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिनांक 12.01.2023 को आरपीएमसी को आदेश जारी किया। जिसमें निजी विश्वविद्यालय निम्न यूनिवर्सिटी के छात्रों का "वन टाईम एग्जाम" लिया जाये और उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का आरपीएमसी में फिर से रजिस्ट्रेशन किया जाए। इस आदेश की पालना में मेरा भी "वन टाईम एग्जाम" लिया जिसे प्रार्थी ने सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया। इसके पश्चात प्रार्थी को आरपीएमसी द्वारा दिनांक 28.06.2023 को फिर से रजिस्ट्रेशन किया। इसके पश्चात प्रार्थी ने भर्ती की सभी शर्तों को पूरा करते हुए आवेदन किया। प्रार्थी द्वारा चाहा गया है कि उसका अनुभव स्वीकार किया जाये। अब इसके बाद कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की है।</p>	<p>अभ्यर्थी का पंजीयन राजस्थान पैरामेट्रिकल कौन्सिल में दिनांक 28.6.2023 को हुआ है। अतः रिट याचिका संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय के अनुरूप पंजीयन से पूर्व की संविदा अवधि के बोनस अंक देय नहीं हैं। अभ्यर्थी के प्रतिशत प्राप्तांक 44.183 हैं। बोनस अंकों के अभाव में ओबीसी वर्ग की कटऑफ 53.641 से कम होने के कारण चयन से वंचित है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।</p>	परिवेदना खारिज

56	RAKESH KUMAR SHARMA	LTN119454	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है।	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 अभ्यर्थी का पंजीयन दिनांक 27.6.2023 को होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी की आयु विज्ञापित में वर्णित चपरी आयुसीमा से अधिक होने के कारण आवेदन निरस्त किया गया है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं।	परिवेदना खारिज
57	SHIVRAJ JAT	LTN119403	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के दस्तावेज सत्यापन में 80.443 प्रतिशत का उल्लेख करते हुये ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग की फटाफट से अधिक प्राप्तांक होने के बावजूद भी अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, को सम्मिलित किये जोन बाबत निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी। अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत आरपीएमसी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में प्रथम पंजीकरण दिनांक 24.08.2022 होने के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 के अनुरूप अभ्यर्थी की रजिस्ट्रेशन दिनांक से पूर्व की अनुभव अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया गया है इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 45.443 प्रतिशत बनते हैं जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 53.641 से कम होने के कारण अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	परिवेदना खारिज
58	BHAVANA LOHAR	LTN116979	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 84.407 प्रतिशत बताते हुये अंतरिम वरियता सूची में नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है। अतः अभ्यर्थियों द्वारा अनुभव का लाभ प्रदान कर अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अभ्यर्थी द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी। अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन में अधीक्षक महाराणा भूपाल चिकित्सालय, उदयपुर द्वारा दिनांक 15.11.2018 से 18.10.2021 तक कुल 976 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है किन्तु अभ्यर्थी का आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन दिनांक 27.06.2023 को हुआ है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में अभ्यर्थी की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 44.463 बनते हैं जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 53.641 से कम होने के कारण चयन की श्रेणी में नहीं आती है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	परिवेदना खारिज
59	KULDEEP SHARMA	LTN115160	मेरे एकेडमिक और प्रोफेशनल कोर्स का एवरेज 88.38 है और 70 प्रतिशत 46.466 है उक्त में कोविड काल में किये गये कार्य के अनुभव बोनस अंक को सम्मिलित करने पर 61.466 प्रतिशत होते हैं। जनरल की कट ऑफ 59.585 है। अतः जारी सूची को संशोधित कर नाम जुड़वाने हेतु परिवेदना।	अभ्यर्थी का आर.पी.एम.सी. में पंजीयन मार्च 2023 में हुआ है अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि के अनुभव का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 46.469 प्रतिशत बनते हैं जो सामान्य श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम रहने के कारण चयन से वंचित रहा है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं।	परिवेदना खारिज
60	IMARAN KHAN PATHAN	LTN117978	मैं विज्ञापित में जारी योग्यता को पूर्ण करता हूँ एवं राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1965 के तहत योग्य हूँ। अतः बोनस अंक देकर नियुक्ति प्रदान करने की मांग की है।	अभ्यर्थी का आर.पी.एम.सी. में पंजीयन 27.06.2023 को हुआ है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 44.393 प्रतिशत बनते हैं जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम रहने के कारण चयन से वंचित रहा है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं।	परिवेदना खारिज

61	RAGHUNATH SINGH RAJPUROHIT	LTN118244	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की गई है, दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थी द्वारा दो पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं जिसमें एक प्रमाण पत्र 16.09.2016 को जारी है एवं दूसरा 27.06.2023 को जारी है। अतः इनके मध्य की पंजीयन संबंधी स्थिति संपष्ट नहीं है। यदि अभ्यर्थी द्वारा एन.ओ.सी. प्राप्त कर ली गई हो तो 27.06.2023 से पूर्व के अनुभव का लाभ देय नहीं होगा। वर्तमान में अभ्यर्थी द्वारा संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र, लैब सहायक पद का है। माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 14007/हेम सिंह चौहान बनाम सरकार में कहा है कि लैब सहायक व लैब टेक्नीशियन का कार्य एक समान है। अतः राजस्थान वैसा मेडिकल कॉलेज से पंजीयन के संबंध में स्थिति स्पष्ट कराया जाना प्रस्तावित है ताकि अनुभव अवधि का निर्धारण किया जा सके।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
62	ASHOK KUMAR YADAV	LTN117960	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में स्वयं के कुल प्राप्तांक 74.225 प्रतिशत होने के बावजूद अंतिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया जबकि उनसे कम अंक वाले अभ्यर्थियों को चयन किया जा चुका है। अतः नाम सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अभ्यर्थी द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी। अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन में अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर द्वारा लैब टेक्नीशियन के पद पर दिनांक 01.08.20219 से 29.12.2022 तक 1274 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। जो कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 16214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में अभ्यर्थी का आरपीएमसी में पंजीकरण दिनांक 28.06.2023 से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 44.212 प्रतिशत बनते हैं जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 53.641 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहा है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं।	परिवेदना खारिज
63	SURESH KUMAR	LTN117280	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत स्वयं के बोनस अंक 30 सहित कुल प्राप्तांक 79.345 प्रतिशत बताते हुये ओबीसी एनसीएल वर्ग की कटऑफ 59.6 प्रतिशत से अधिक होने के कारण अन्तिम वरियता सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय पाली द्वारा लैब टेक्नीशियन पद का दिनांक 18.01.2018 से 30.05.2023 तक कुल 1962 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है किन्तु अभ्यर्थी का राजस्थान वैसा मेडिकल कॉलेज में आरपीएमसी में पंजीकरण दिनांक 27.06.2023 से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक बोनस अंकों के अभाव में 49.345 प्रतिशत बनते हैं जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 53.641 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहा है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं।	परिवेदना खारिज
64	JEETENDRA SHARMA	LTN116860	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ जेएलएन मेडिकल कॉलेज द्वारा लैब टेक्नीशियन के पद पर दिनांक 01.02.2015 से 31.03.2017 एवं दिनांक 06.04.2017 से 30.04.2019 तक 674 दिवस कुल 1328 दिवस का अनुभव जारी किया गया जो कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में अभ्यर्थी का आरपीएमसी में पंजीकरण दिनांक 27.06.2023 से पूर्व का होने के कारण बोनस अंक प्रदान नहीं किये गये। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 39.617 प्रतिशत बनते हैं जो अनारक्षित महिला वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 55.654 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहा। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।

38 / 135

68	CHALWA PAWAN KUMAR	LTN118035	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन तथा दस्तावेज सत्यापन के दौरान मेडिकल कॉलेज, खूंखरपुर द्वारा लैब टेक्नीशियन के पद पर दिनांक 11.01.2018 से 30.05.2023 तक कुल 1965 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया किन्तु अभ्यर्थी की उक्त अनुभव अवधि में कुछ अवधि आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन दिनांक 27.01.2022 से पूर्व होने के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में पूर्व अवधि के अनुभव का लाभ नहीं दिया जाकर शेष अवधि के 15 बोनस अंकों सहित भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है जिसके अनुसार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 52.211 प्रतिशत बनते हैं जो कि अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 59.585 प्रतिशत से कम होने के चयन से वंचित रहा है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
69	RAKSHA KUMARI	LTN120063	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन तथा दस्तावेज सत्यापन के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा लैब टेक्नीशियन के पद पर दिनांक 01.04.2017 से 30.06.2017 तक कुल 91 दिवस एवं दिनांक 27.07.2022 से 30.05.2023 तक 308 का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया किन्तु अभ्यर्थी की प्रथम अनुभव अवधि आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन दिनांक 20.09.2020 से पूर्व होने के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में पूर्व अवधि के अनुभव का लाभ नहीं देकर शेष अवधि 01 वर्ष से कम होने के कारण बोनस अंकों लाभ नहीं दिया जाकर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है जिसके अनुसार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 40.928 प्रतिशत बनते हैं जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 45.179 प्रतिशत से कम होने के चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
70	SUBRATO KUMAR VISHWAS	LTN117196	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में स्वयं के कुल प्राप्तांक 77.837 प्रतिशत होने का उल्लेख करते हुये अनारक्षित वर्ग की कटऑफ प्रतिशत 59.585 होने पर भी अंतिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी ने स्वयं को अन्तरिम वरियता सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अभ्यर्थी द्वारा नरे गये 'काटा' के आधार पर की गई थी जिसमें अभ्यर्थी को 77.837 प्रतिशत प्रदान किये गये थे। अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन में मेडिकल कॉलेज खूंखरपुर द्वारा लैब टेक्नीशियन पद का दिनांक 12.01.2018 से 30.05.2023 तक 1951 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है किन्तु अभ्यर्थी की उक्त अनुभव अवधि आरपीएमसी में पंजीकरण दिनांक 27.06.2023 से पूर्व की होने के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में उक्त बोनस अवधि का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों में अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 47.837 प्रतिशत बनते हैं जो कि अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 59.585 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहा है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।

38 15 → 735 2, 38 6

71	DEEPESH MUDGAL	LTN117550	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 43.463 बताते हुये अनारक्षित वर्ग की अंतिम कटऑफ से अधिक होते हुये भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम वरियता सूची में नहीं किया गया है। अतः स्वयं का चयन किये जाने बाबत निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अभ्यर्थी द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी। अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन में मेडिकल कॉलेज बृंगरपुर द्वारा दिनांक 10.01.2018 से 30.05.2023 तक कुल 1938 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अभ्यर्थी की अनुभव अवधि आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन दिनांक 27.08.2023 से पूर्व का होने के कारण माननीय न्यायालय में दायर याचिका संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 के अनुरूप अनुभव अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया गया जिसके अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 43.315 प्रतिशत बनते हैं जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 59.585 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहा है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
72	YUGAL KISHOR BAKOLIA	LTN120365	प्राथी द्वारा लगाये गये अनुभव प्रमाण पत्र की जांच कर अन्तिम वरियता सूची में शामिल करने बाबत।	अभ्यर्थी द्वारा वो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये हैं जो आवेदन पत्र में भी उपलब्ध हैं। इनमें एक अनुभव प्रमाण पत्र 246 दिवस हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर द्वारा जारी किया गया है जिसमें अभ्यर्थी द्वारा सम्पादित कार्य लैब टेक्नीशियन के समान बताया है एवं दूसरा प्रमाण पत्र वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम द्वारा जारी किया गया है जिसमें अभ्यर्थी का कार्य लैब टेक्नीशियन के समान नहीं बताया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र बेनीवाल बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय ने नियम 19 की कठोरता से पालना करने के निर्देश पारित किये हैं अतः वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र नियम 19 के अनुसार लैब टेक्नीशियन कार्य का नहीं होने व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया होने से मान्य नहीं है, फलस्वरूप अभ्यर्थी का अनुभव मात्र 254 दिवस का रह जाता है जो कोविड अवधि के बाद का होने से अनुभव का लाभ देय नहीं है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना खारिज
73	VISHANU KUMAR GUPTA	LTN118454	दस्तावेजों की पुनः जांच कर सूची में नाम सम्मिलित करने बाबत।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है जो निर्धारित प्रारूप में नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 351/20 संतोष चौधरी बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण अपील खारिज कर दी है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना खारिज
74	NAMRATA DAVE	LTT117427	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में स्वयं के कुल प्राप्तांक 75.099 प्रतिशत होने के बावजूद टीएसपी अनारक्षित महिला वर्ग की अंतिम कटऑफ प्रतिशत 43.937 से अधिक होने क बावजूद भी अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	लेब टेक्नीशियन वर्ग 2023 में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये डाटा के अनुसार की गई थी। किन्तु दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा डी.बी. याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को इसी ही आधार पर खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांकों की गणना बोनस अंकों के अभाव में किये जाने के उपरान्त 39.419 प्रतिशत बनते हैं जो कि अनारक्षित महिला वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 43.937 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना खारिज
75	RAJENDER SINGH	LTN115851	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, केवल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 43.825 प्रतिशत बनते हैं जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 45.179 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहा है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।

38

Handwritten signatures and initials are present below the table.

81	VJESH KUMAR SAINI	LTN120955	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, केवल चरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गणेश्वर द्वारा जारी अनुमति प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी द्वारा चरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गणेश्वर द्वारा जारी अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को विज्ञापित में उल्लेखित शतानुसार बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। माननीय न्यायालय ने रिट याचिका कविता पंवार बनाम राज्य सरकार में निर्णय पारित कर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुमति प्रमाणपत्र की शर्त को मान्य किया है। इस प्रकार अभ्यर्थी के बोनस अंकों के अभाव में कुल प्राप्तांक 44.906 प्रतिशत बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 53.641 से कम होने के कारण चयन से वंचित रहा है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
82	ARJUN DEV JAKHAR	LTN115385	प्रार्थी ने AIIMS JODHPUR के अन्तर्गत चल रहे Suvellience Project का अनुमति प्रमाण पत्र लगाया था जिसे मान्य नहीं किया है। जबकि विभाग द्वारा पूर्व में लेब टेक्नीशियन भर्ती-2020 में इसी अनुमति को मान्य करते हुए आवेदन क्रमांक 202011500135 नाम जेबा को नियुक्ति प्रदान की है। अतः प्रार्थी चाहता है कि उसके अनुमति प्रमाण पत्र को स्वीकार करते हुए अंतरिम परियता सूची में शामिल करें। साथ ही प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय की रिट संख्या 14046/2023 को संलग्न किया है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुमति प्रमाण पत्र राजस्थान सरकार के अधीन संस्थान का नहीं होने से नियमानुसार मान्य नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम सरकार में याचिकाकर्ता की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि राज्य सरकार का अपने किन्हीं कर्मचारियों को अनुमति का लाभ देते हुए बोनस अंक प्रदान किये जाने का निर्णय विधि सम्मत है। इसी प्रकार डी.बी. याचिका संख्या 8433/2023 मख्खन लाल बढाला बनाम राजस्थान राज्य में माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि -"यह पूरी तरह राज्य सरकार के उपर निर्भर करता है कि वह बोनस अंकों का प्रावधान कर सकती है एवं अपने चाहे तरीके से ऐसा कर सकती है"। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना खारिज
83	PRASHANT DEORA	LTN116566	प्रार्थी ने AIIMS JODHPUR का अनुमति प्रमाण पत्र लगाया था जिसे मान्य नहीं किया है। जबकि पूर्व में लेब टेक्नीशियन भर्ती-2020 में इसी अनुमति को मान्य करते हुए आवेदन क्रमांक 202011500135 को नियुक्ति प्रदान की है। अतः प्रार्थी चाहता है कि उसके अनुमति प्रमाण पत्र को स्वीकार करते हुए अंतरिम परियता सूची में शामिल करें।	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुमति प्रमाण पत्र राजस्थान सरकार के अधीन संस्थान का नहीं होने से नियमानुसार मान्य नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम सरकार में याचिकाकर्ता की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि राज्य सरकार का अपने किन्हीं कर्मचारियों को अनुमति का लाभ देते हुए बोनस अंक प्रदान किये जाने का निर्णय विधि सम्मत है। इसी प्रकार डी.बी. याचिका संख्या 8433/2023 मख्खन लाल बढाला बनाम राजस्थान राज्य में माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि -"यह पूरी तरह राज्य सरकार के उपर निर्भर करता है कि वह बोनस अंकों का प्रावधान कर सकती है एवं अपने चाहे तरीके से ऐसा कर सकती है"। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना खारिज
84	SHRAWAN KUMAR	LTN118321	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है किन्तु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की लेब टेक्नीशियन भर्ती 2020 की वरीयता सूची व इसमें एक अभ्यर्थी जेबा के दरतावेज संलग्न किये हैं जिसे एम्स का अनुमति प्राप्त है जो एम्स के ही अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अभ्यर्थी श्री श्रवण कुमार के पास भी एम्स का ही अनुमति है और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जेबा का चयन कर लिये जाने के कारण श्री श्रवण कुमार भी एम्स के अनुमति का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं।	अन्य राज्य सरकारों व राज्यों में एन.एच.एम. या भारत सरकार के अधीन संस्थानों में कार्यानुमति का बोनस अंकों का लाभ नहीं दिये जाने को माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम सरकार में याचिकाकर्ता की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि राज्य सरकार का अपने किन्हीं कर्मचारियों को अनुमति का लाभ देते हुए बोनस अंक प्रदान किये जाने का निर्णय विधि सम्मत है। इसी प्रकार डी.बी. याचिका संख्या 8433/2023 मख्खन लाल बढाला बनाम राजस्थान राज्य में माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि -"यह पूरी तरह राज्य सरकार के उपर निर्भर करता है कि वह बोनस अंकों का प्रावधान कर सकती है एवं अपने चाहे तरीके से ऐसा कर सकती है"। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना खारिज

39 / [Handwritten signatures and marks]

85	NILOTPAL SHUKLA	LTN105375	अभ्यर्थी द्वारा राजस्थान से बाहर से जारी अनुभव प्रमाण पत्र के बोनस अंक का लाभ देते हुए अन्तरिम वरियता सूची में घयन करने हेतु परिवेदना।	अभ्यर्थी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी अयोध्या द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। नियमानुसार राजस्थान राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य से जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देय नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 1422/2022 संत्यदेव बागौर बनाम सरकार में याचिकाकर्ता की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि राज्य सरकार का अपने किन्हीं कर्मचारियों को अनुभव का लाभ देते हुए बोनस अंक प्रदान किये जाने का निर्णय विधि सम्मत है। इसी प्रकार डी.बी. याचिका संख्या 8433/2023 मख्खन लाल बढाला बनाम राजस्थान राज्य में माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि -"यह पूरी तरह राज्य सरकार के उपर निर्भर करता है कि वह बोनस अंकों का प्रावधान कर सकती है एवं अपने चाहे तरीके से ऐसा कर सकती है"। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना खारिज
86	JITENDRA KUMAR	LTN112381	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, केवल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को विज्ञापित में उल्लेखित शतानुसार बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थी के बोनस अंकों के अभाव में कुल प्राप्तांक 48.250 प्रतिशत बनते हैं जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 53.641 से कम होने के कारण घयन से वंचित रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका सं. 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राज्य सरकार में अन्य राज्यों के अनुभव के बोनस अंक नहीं दिये जाने सम्बन्धी प्रकरण को राज्य पक्ष में निर्णित किया है। इसी प्रकार डी.बी. याचिका संख्या 8433/2023 मख्खन लाल बढाला बनाम राजस्थान राज्य में माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि -"यह पूरी तरह राज्य सरकार के उपर निर्भर करता है कि यह बोनस अंकों का प्रावधान कर सकती है एवं अपने चाहे तरीके से ऐसा कर सकती है"। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
87	ANJALI MAWATWAL	LTN118297	प्रार्थी के वरियता सूची में रिमार्क SUBJECT TO VERIFICATION जबकि मेरे द्वारा दिये गये सभी दस्तावेज पूर्ण रूप से सही हैं। अतः दस्तावेज का पुनः सत्यापन कर चयन सूची में नाम दर्ज करवाने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की है।	अनुभव जारीकर्ता अधिकारियों द्वारा जारी समस्त अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनःसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। संबंधित आवेदक को जारी अनुभव प्रमाण पत्रों के नियमानुसार पुनःसत्यापन परचात तदनुसार रिमार्क हटाने के संबंध में कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
88	SUNIL KUMAR SAINI	LTN117578	प्रार्थी के वरियता सूची में रिमार्क SUBJECT TO VERIFICATION को वेरिफाई करवाने हेतु दस्तावेज सत्यापन कर परिवेदना दर्ज है।	अनुभव जारीकर्ता अधिकारियों द्वारा जारी समस्त अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनःसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। संबंधित आवेदक को जारी अनुभव प्रमाण पत्रों के नियमानुसार पुनःसत्यापन परचात तदनुसार रिमार्क हटाने के संबंध में कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
89	LAXMI YADAV	LTN106014	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ऑनलाईन आवेदन पत्र के अनुभव पद वाले कॉलम में मूलवश कोविड हेल्थ असिस्टेंट कर दिया गया है जिसके स्थान पर लैबोरेटरी टेक्नीशियन किया जाकर बोनस अंकों के समायोजन के संबंध में निवेदन किया है।	अनुभव जारीकर्ता अधिकारियों द्वारा जारी समस्त अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनःसत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। संबंधित आवेदक को जारी अनुभव प्रमाण पत्रों के नियमानुसार पुनःसत्यापन परचात तदनुसार रिमार्क हटाने के संबंध में कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
90	RAHUL	LTN117967	अभ्यर्थी के ओबीसी श्रेणी में कुल प्रतिशत अंक 53.934 हैं। एवं कटऑफ प्रतिशत 53.641 है। अतः कटऑफ से अधिक अंक होने के बाद भी सूची में नाम नहीं होने पर अंतिम सूची में नाम जुड़वाने हेतु परिवेदना।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में 2 अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं। संलग्न अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनःसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थी को नियमानुसार 15 बोनस अंक दिया जाकर तदनुसार अपने कैटेगरी/वर्ग की मेरिट में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
91	ASHOK SINGH GURJAR	LTN111669	रिट याचिका सं. 9591/2023 में पारित माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.6.2023 के कारण परिणाम रोक़ा गया है। अब प्रार्थी ने अन्तिम वर्ष की अंक तालिका एवं आरपीएमसी रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि परिवेदना के साथ प्रस्तुत कर सूची में नाम सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	प्रार्थी श्री गुर्जर द्वारा माननीय न्यायालय में रिट याचिका संख्या 9591/2023 दायर की हुई है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर परिणाम रोक़ा गया है। अभ्यर्थी ने द्वितीय वर्ष डिप्लोमा परीक्षा अक्टूबर 2023 में उत्तीर्ण की है अतः नियमानुसार अभ्यर्थी आवेदन के समय इस भर्ती हेतु पात्र नहीं था। माननीय न्यायालय में याचिका दायर होने के कारण माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय अनुसार कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई अन्य कार्यवाही नहीं करते हुए परिणाम रोक़ा जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित

92	BHANWARA RAM	LTN118334	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दरतावेज संलग्न किये हैं जिनमें माननीय न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 14250/2023 भंवराराम बनाम राजस्थान राज्य की कैंस डिटेल् दी हुई है एवं एक महिला जेबा रीयद का कर्मचारी चयन बोर्ड की 2020 की भर्ती हेतु भरा हुआ आवेदन प्रपत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दरतावेजों से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि एक अन्य अभ्यर्थी का कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती सम्बन्धी आवेदन की प्रति क्यों लगाई है। संभवतया कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूर्व में सामान कार्य के अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिये जाने के कारण एसा उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। साथ ही उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी की याचिका को रिट याचिका सं 15769/2023 बलराम बनाम राजस्थान राज्य से कनेक्ट कर रिट याचिका संख्या 14086/2023 राजेन्द्र बेनीवाल के अनुरूप निर्णीत कर दिया है। अतः तदनुसूच ही कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	नीति निष्चरण समिति के समक्ष रखे जाने के प्रस्तावानुसार अनुमोदित
93	MANISH KUMAR MEENA	LTN110828	माननीय न्यायालय में विद्याराधीन प्रकरणों के कारण परिणाम रोका गया है। अब प्रार्थी ने अन्तिम वर्ष की अंक तालिका एवं आरपीएमसी रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि परिवेदना के साथ प्रस्तुत कर सूची में नाम सम्मिलित करने बाबत।	प्रार्थी श्री मीणा द्वारा माननीय न्यायालय में रिट याचिका संख्या 9591/2023 दायर की हुई है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थी ने द्वितीय वर्ष डिप्लोमा परीक्षा अक्टूबर 2023 में उत्तीर्ण की है अतः नियमानुसार अभ्यर्थी आवेदन के समय इस भर्ती हेतु पात्र नहीं था। माननीय न्यायालय में याचिका दायर होने के कारण माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय अनुसार कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई अन्य कार्यवाही नहीं करते हुए परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
94	RAVI KUMAR VYAS	LTN118456	माननीय न्यायालय के आदेश क्रमांक 16378/2023 दिनांक 18.09.2023 के अनुसार प्रार्थी का पंजीयन ना होने के कारण प्रार्थी को अन्तिम वरियता सूची से बाहर ना रखा जाये। आदेश संलग्न है।	माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 15378/2023 में दिनांक 6.10.2023 को आदेश पारित कर पात्रता निरस्त नहीं करने के निर्देश दिये हैं। जबकि लैब टेक्नीशियन पद की अंतिम वरियता सूची इसके पूर्व ही जारी की जा चुकी थी जिसमें अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। अतः क्या अभ्यर्थी को मेरिट अनुसार अंतिम वरियता सूची में सम्मिलित किया जाये अथवा नहीं? समिति के सदस्यों की राय के अनुसार कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।	समिति द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण में अंतिम निर्णय के अध्याधीन अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करते हुए परिणाम रोके जाने का निर्णय लिया गया।
95	AMIT KUMAR MEENA	LTN110856	माननीय न्यायालय में विद्याराधीन प्रकरणों के कारण परिणाम रोका गया है। अब प्रार्थी ने अन्तिम वर्ष की अंक तालिका एवं आरपीएमसी रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि परिवेदना के साथ प्रस्तुत कर सूची में नाम सम्मिलित करने बाबत।	प्रार्थी श्री मीणा द्वारा माननीय न्यायालय में रिट याचिका संख्या 9591/2023 दायर की हुई है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थी ने द्वितीय वर्ष डिप्लोमा परीक्षा अक्टूबर 2023 में उत्तीर्ण की है अतः नियमानुसार अभ्यर्थी आवेदन के समय इस भर्ती हेतु पात्र नहीं था। माननीय न्यायालय में याचिका दायर होने के कारण माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई अन्य कार्यवाही नहीं करते हुए परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है।	समिति द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण में अंतिम निर्णय के अध्याधीन अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करते हुए परिणाम रोके जाने का निर्णय लिया गया।
96	MOHAN SAINI	LTN115333	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की रिट संख्या 13761/2023 द्वारा जारी स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रति जमा कराने व प्रोविजनल लिस्ट में शामिल करने हेतु परिवेदना।	प्रार्थी श्री मोहन सैनी ने माननीय न्यायालय में रिट याचिका संख्या 133761/2023 दायर की थी जिसे माननीय न्यायालय ने 13439/2023 इंद्रा केंवर चौहान के साथ निर्णीत कर निम्नानुसार अपना निर्णय पारित किया है— "6. In the meanwhile, as an interim measure, it is hereby directed that the candidature of the petitioners for the post of Assistant Radiographer /Lab Technician pursuant to advertisement dated 31-5-2023 shall not be rejected". अतः यदि अभ्यर्थी का चयन मेरिट में होता है तो परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है। साथ ही अन्य सभी कनेक्टेड रिट याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं का परिणाम भी चयन होने की स्थिति में रोका जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित

97	AMIT KUMAR	LTN115708	कोविड काल के अनुभव के बोनस अंकों का लाभ देते हुये प्रविजनल सूची में नाम शामिल करने हेतु परिवेदना।	अभ्यर्थी द्वारा लेब सहायक पद पर किये गये कार्य का अनुभव का लाभ दिये जाने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की गई है। उक्त पर निर्णय हेतु प्रकरण नीति निर्धारण समिति की आगामी बैठक में रखा जाना उचित होगा।	नीति निर्धारण समिति के समक्ष रखा जाकर नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाये।
98	NARESH KUMAR SHARMA	LTN110992	117 अभ्यर्थियों को लेब सहायक पद के अनुभव बोनस अंकों के लाभ दिये गये अयोग्य अभ्यर्थियों को बाहर करते हुए अंतिम सूची में नाम शामिल करवाने बाबत।	उक्त अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की जाकर अन्य अभ्यर्थियों को दिये गये बोनस अंक के संबंध में कार्यवाही करना हेतु अनुरोध किया गया है। अनुभव प्रमाण पत्रों की पुर्नजांच का कार्य प्रक्रियाधीन है। जिसके पूर्ण होने पर तदनुसार नियमों में कार्यवाही की जायेगी। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अभ्यर्थी द्वारा जारी अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
99	ABHISHEK MITTAL	LTN114384	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थी द्वारा लेब सहायक पद पर किये गये कार्य का अनुभव का लाभ दिये जाने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की गई है। उक्त पर निर्णय हेतु प्रकरण नीति निर्धारण समिति की आगामी बैठक में रखा जाना उचित होगा।	नीति निर्धारण समिति के समक्ष रखा जाकर नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाये।
100	VIRENDRA KUMAR SAINI	LTN100012	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थी द्वारा लेब सहायक पद पर किये गये कार्य का अनुभव का लाभ दिये जाने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की गई है। उक्त पर निर्णय हेतु प्रकरण नीति निर्धारण समिति की आगामी बैठक में रखा जाना उचित होगा।	नीति निर्धारण समिति के समक्ष रखा जाकर नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाये।

38

(Handwritten signatures and marks)

101	GOPAL GUSAI	LTN118142	प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.05.21 से 28.05.21 तक कोविड अवधि में लैब टेक्नीशियन का कार्य किया गया। चूंकि प्रार्थी का कहना है कि उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि कोविड अवधि में 1 दिन कार्य करने पर भी 15 बोनस अंक दिये जाते हैं। जब प्रार्थी को इस बात का पता चला तो प्रार्थी ने कोविड अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लिया और अब अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर 15 बोनस अंक प्रदान करने हेतु परिवेदना दी है।	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अग्रार्थियों की परिवेदना की अग्रार्थियों ने संबंधित अधिकारी को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन किया है किन्तु अधिकारीगण अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे, का उल्लेख करते हुये यह निर्णय दिया कि अग्रार्थी एक निश्चित दिनांक जो कि 2022 में जारी विज्ञापित के अनुसार थी तक अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन कर सकेंगे एवं अधिकारीगण बिना कोई बाधा उत्पन्न किये अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेंगे। अग्रार्थी श्री गोपाल गुसाई का प्रकरण लालाराम बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय से कवर नहीं होता है क्योंकि की अग्रार्थी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन की दिनांक 15.09.2023 को किया गया जो कि दस्तावेज सत्यापन के बाद की दिनांक है। अतः विज्ञापित की शर्तों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप एवं आवेदन पत्र में वर्णित अनिवार्य वांछित शर्तों/दस्तावेजों के संबंध में पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी अग्रार्थी द्वारा कोई प्रयास नहीं किये गया अतः अग्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र अब मान्य नहीं किया जा सकता है।	परिवेदना खारिज
102	UJJAWAL KUMAR	LTN117173	अग्रार्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के ओबीसी-एनसीएल श्रेणी में कुल प्रतिशत अंक 60.268 है का उल्लेख करते हुये ओबीसी एनसीएल की कटऑफ प्रतिशत से अधिक होने के कारण अंतिम वरियता सूची में स्वयं को सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन में अग्रार्थी द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर अग्रार्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना की गई थी किन्तु दस्तावेज सत्यापन के दौरान एवं ऑनलाईन आवेदन में अग्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने के कारण अग्रार्थी को तत्समय बोनस का लाभ प्रदान नहीं किया गया। अब अग्रार्थी द्वारा अधीक्षक, महाराज भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रांक 77 दिनांक 27.06.2023 के द्वारा अग्रार्थी को 698 दिवस का अनुभव दिया गया है। रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा सभी आवेदकों हेतु अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश प्रदान किये गये थे जिसके क्रम में विभाग द्वारा भी पत्र जारी कर समस्त अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ताओं को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्देशित किया था। अतः यदि अग्रार्थी द्वारा त्रुटि संशोधन के दौरान अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया हो तो संलग्न अनुभव प्रमाणपत्र का सत्यापन अनुभव जारीकर्ता अधिकारी से कराये जाने के उपरान्त बोनस अंकों का लाभ प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
103	CHIRISHA KANWAR	LTN118011	माननीय न्यायालय की रिट पिटिशन संख्या 15675/2023 की मालना में अनुभव प्रमाण पत्र जमा करने तक 1 पद रिजर्व रखे जाने हेतु परिवेदना।	अग्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15675/2023 दायर की है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया है। किन्तु रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा सभी आवेदकों हेतु अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश प्रदान किये गये थे जिसके क्रम में विभाग द्वारा भी पत्र जारी कर समस्त अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ताओं को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्देशित किया था। अतः याचिकाकर्ता को तत्समय अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने का कारण संबंधित अधिकारी से स्पष्ट कराया जाना उचित होगा। माननीय न्यायालय ने पद रिजर्व रखने के निर्देश प्रदान नहीं किये हैं।	चूंकि माननीय न्यायालय ने पद रिजर्व रखने के निर्देश प्रदान नहीं किये हैं अतः ऐसी स्थिति में पद रिजर्व रखा नहीं जावे। वर्तमान में और कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
104	ANUSHKA CHOUDHARY	LTN108958	दस्तावेज सत्यापन (51.625) व अंतरिम वरियता सूची की प्रतिशत (51.450) में अंतर का निस्तारण करने बाबत।	दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रकाशित सूची में प्रतिशत अंक वह हैं जो अग्रार्थी द्वारा भरे गये हैं जबकि अंतरिम वरियता सूची में प्रकाशित अंक दस्तावेज सत्यापन उपरान्त गणना $\{(85)+869\}/25 + 78.2\} / 2 \times 0.7 = 51.450$ के फलस्वरूप वास्तविक प्राप्तांक हैं जिसकी पुनः मुष्टि कर ली गई है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	परिवेदना खारिज

39 ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

105	REKHA MEENA	LTN118065	प्रार्थी के वरियता सूची में रिमार्क SUBJECT TO VERIFICATION OF MARKS को वैरिफाई करवाने हेतु परिवेदना दर्ज की है एवं परिवेदना के साथ अंकतालिकाओं की फोटोकॉपी व गुरु गोबिन्द सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली से जारी अंकों की गणना संबंधी पत्र संलग्न किये हैं जिन्हे यह पूर्व में भी ऑफलाइन जमा किया होना बता रही है।	अभ्यर्थी ने गुरु गोबिन्द सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली से व्यावसायिक योग्यता हासिल की जिसकी अंकतालिकाएं सी.जी.पी.ए. आधारित हैं जिसमें प्राप्तांकों की गणना विधि स्पष्ट नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में अपने प्राप्तांक किस प्रकार गणना कर लिखे हैं, स्पष्ट नहीं है। अतः सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अंकों के सत्यापन के उद्देश्य से अभ्यर्थी का परिणाम रोका गया था। यदि उक्त विश्वविद्यालय से प्राप्त गणना संबंधी पत्र को ही आधार मान लिया जावे तो भी अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता उत्तीर्ण होने के कारण अग्रिम सत्यापन तक परिणाम रूका रहेगा। अतः समिति द्वारा परिणाम रोके जाने अथवा जारी किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जाना है।	सबजेक्ट टू वैरिफिकेशन ऑव मार्क्स रिमार्क हटाकर अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता के सत्यापन होने तक परिणाम रोका जावे।
106	SHARWAN KUMAR	LTN116874	प्रार्थी के वरियता सूची में रिमार्क SUBJECT TO VERIFICATION OF MARKS को वैरिफाई करवाने हेतु परिवेदना दर्ज है।	अभ्यर्थी द्वारा Punjab State Board of Technical Education and Industrial Training, Chandigarh से Medical Lab Technology का कोर्स किया गया है जिसकी अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु अभ्यर्थी का परिणाम अंतिम चयन सूची में रोका जाना प्रस्तावित है। अंकतालिकाओं के सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
107	AARTI KUMAWAT	LTN120288	प्रार्थी के वरियता सूची में रिमार्क SUBJECT TO VERIFICATION OF MARKS को हटवाने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थी द्वारा Madhya Pradesh medical science university Jabalpur से Diploma in Medical Laboratory Technician का कोर्स किया गया है जिसकी अंकतालिकाओं के सत्यापन हेतु अभ्यर्थी का परिणाम अंतिम चयन सूची में रोका जाना प्रस्तावित है। अंकतालिकाओं के सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
108	MOHAMMAD AJAHARUDDIN	LTN114408	रोके गये परिणाम को जारी करवाने बाबत।	अभ्यर्थी द्वारा Omkar College of Professional Studies, Guna M.P. से Diploma in Medical Lab Technology कोर्स किया गया है। जिसके सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
109	MAHENDRA MEENA	LTN117743	रोके गये परिणाम को जारी करवाने बाबत।	अभ्यर्थी द्वारा Madhya Pradesh Medical Science University Jabalpur से Diploma in Medical Lab Technology कोर्स किया गया है। जिसके सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
110	JAGVEER SINGH YADAV	LTN112742	प्रार्थी का परिणाम रोकने का कारण अवगत करवाने बाबत।	अभ्यर्थी द्वारा Jiwaji University Gwalior से Diploma in Medical Lab Technology कोर्स किया गया है। जिसके सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
111	ARJUN GURJAR	LTN119540	अभ्यर्थी द्वारा कोई ऑनलाइन परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थी द्वारा Madhya Pradesh Medical Science University Jabalpur से Diploma in Medical Lab Technology कोर्स किया गया है। जिसके सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
112	CHANDRA SAIN	LTN115724	अभ्यर्थी के रोके गये परिणाम को अंतिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु परिवेदना।	अभ्यर्थी द्वारा Haryana Board of Technical Education, Panchkula से Diploma in Medical Lab Technology कोर्स किया गया है। जिसके सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
113	RATAN PRAJAPAT	LTN112708	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थी द्वारा Madhya Pradesh Medical Science University Jabalpur से Diploma in Medical Lab Technology कोर्स किया गया है। जिसके सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
114	JHABBAR SINGH	LTN113212	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को अंतिम वरियता सूची में सम्मिलित करते हुये परिणाम रोके जाने की सूचना से अवगत कराते हुये दस्तावेजों का पुनरावलोकन कर अंतिम वरियता सूची में सम्मिलित किये जाते बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा Madhya Pradesh Medical Science University Jabalpur से Diploma in Medical Lab Technology कोर्स किया गया है। जिसके सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।

115	AJAY KUMAR	LTN116698	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करते हुये परिणाम रोके जाने की सूचना से अवगत कराते हुये दस्तावेजों का पुनरावलोकन कर अंतिम वरियता सूची में सम्मिलित किये जोन बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा Haryana State Board Of Technical Education, Panchkula से Diploma in Medical Laboratory Technology कोर्स किया गया है। जिसके सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
116	SATISH KUMAR	LTN114549	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थी द्वारा Haryana State Board Of Technical Education, Panchkula से Diploma in Medical Laboratory Technology कोर्स किया गया है। जिसके सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
117	ANIL KUMAR MEENA	LTN111525	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, कुछ दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा एम्स भुवनेश्वर से जारी अंकतलिकाओं एवं अस्थाई रजिस्ट्रेशन का सत्यापन पत्र संलग्न किया है जिसमें 8वें क्रमांक पर अभ्यर्थी का नाम भी है। अभ्यर्थी का परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता होने के कारण रोका गया है। अतः निर्णय लिया जाना है कि संलग्न पत्र के आधार पर अभ्यर्थी का परिणाम जारी कर दिया जावे अथवा नहीं	चूंकि पूर्व में अंक तलिकाओं के सत्यापन हेतु नीति निर्धारण समिति के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है अतः उस ही के अनुरूप सम्बन्धित राज्य से सूचना प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावे। अथवा नीति निर्धारण समिति स्तर से निर्णय कराया जाये।
118	RAHUL KUMAR MEENA	LTN110936	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करते हुये परिणाम रोके जाने की सूचना से अवगत कराते हुये दस्तावेजों का पुनरावलोकन कर अंतिम वरियता सूची में सम्मिलित किये जोन बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा All India Institute of Medical Sciences, Bhubneshwar से B.Sc. (Hons.) in Medical Laboratory Technology कोर्स किया गया है। जिसके सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
119	PUSHPA KUMARI MEENA	LTN107371	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करते हुये परिणाम रोके जाने की सूचना से अवगत कराते हुये दस्तावेजों का पुनरावलोकन कर अंतिम वरियता सूची में सम्मिलित किये जोन बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा Madhya Pradesh Medical Science University Jabalpur से Diploma in Medical Lab Technology कोर्स किया गया है। जिसके सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
120	ANITA KUMAWAT	LTT107036	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करते हुये परिणाम रोके जाने की सूचना से अवगत कराते हुये दस्तावेजों का उल्लेख करते हुये परिणाम रोके जाने के कारण, से अवगत कराने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा Madhya Pradesh Medical Science University Jabalpur से Diploma in Medical Lab Technology कोर्स किया गया है। जिसके सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
121	RADHA GUPTA	LTN103307	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थी द्वारा Utter Pradesh State Medical Faculty Lucknow से Diploma in Medical Lab Technology कोर्स किया गया है। जिसके सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
122	SOORAJ DHAKAD	LTN113779	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करते हुये परिणाम रोके जाने की सूचना से अवगत कराते हुये दस्तावेजों का पुनरावलोकन कर अंतिम वरियता सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा Madhya Pradesh Medical Science University Jabalpur से Diploma in Medical Lab Technology कोर्स किया गया है। जिसके सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।

123	DEVENDRA MEENA	LTN114479	प्राथी के रोके गये परिणाम का कारण स्पष्ट कर रोके गये परिणाम को जारी करवाने हेतु परिवेदना।	अभ्यर्थी द्वारा All India Institute of Medical Sciences, Bhubneshwar से B.Sc. (Hons.) in Medical Laboratory Technology कोर्स किया गया है। जिसके सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
124	ANIL KUMAWAT	LTT112334	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के रोके गये परिणाम का कारण से अवगत कराये जाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा Miracle Paramedical College Mandsaur, MP से Diploma in Medical Laboratory Technician कोर्स किया गया है। जिसके सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
125	Harsh Maru	LTN117392	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करते हुये परिणाम रोके जाने की सूचना से अवगत कराते हुये स्वयं के जाति प्रमाण पत्र में पिताजी का नाम नरेश भाऊ के स्थान पर नरेश कुमार अंकित है को संशोधित करते हुये परिणाम जारी किये जाने हेतु निवेदन किया है।	तकनीकी कारणों के फलस्वरूप अभ्यर्थी का परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता के अध्याधीन रोका गया था। तत्पश्चात अभ्यर्थी के दस्तावेजों की जांच/पुनर्सत्यापन की कार्यवाही के उपरान्त, अभ्यर्थी की व्यावसायिक योग्यता राजस्थान राज्य से होने की पुष्टि की गई है। अतः अंतिम चयन सूची में परिणाम जारी कर दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
126	KARAN KUMAR MEENA	LTN108826	अभ्यर्थी के दस्तावेजों का पुनःअवलोकन कर रोके गये परिणाम को जारी करवाने हेतु परिवेदना।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में व्यावसायिक योग्यता के कॉलम में संस्थान का नाम दर्ज नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता के अध्याधीन रोका गया था किन्तु अभ्यर्थी के दस्तावेजों की जांच उपरान्त अभ्यर्थी की व्यावसायिक योग्यता राजस्थान राज्य से है। अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में अंकित पिताजी का नाम के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार अनुसार अंतिम चयन सूची में परिणाम जारी किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
127	hemchand yadav	LTN115098	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करते हुये परिणाम रोके जाने की सूचना का उल्लेख करते हुये परिणाम रोके जाने के कारण से अवगत कराने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में व्यावसायिक योग्यता के कॉलम में संस्थान का नाम दर्ज नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता के अध्याधीन रोका गया था किन्तु अभ्यर्थी के दस्तावेजों की जांच उपरान्त अभ्यर्थी की व्यावसायिक योग्यता राजस्थान राज्य से है। अतः अंतिम चयन सूची में तदनुसार परिणाम जारी किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
128	PRIVDARSHI HITENDRA DABAS	LTN113105	अभ्यर्थी के रोके गये परिणाम को जारी करवाने एवं दस्तावेजों को माई गयी कोई कमी को दूरत करवाने हेतु परिवेदना।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में व्यावसायिक योग्यता के कॉलम में संस्थान का नाम दर्ज नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता के अध्याधीन रोका गया था किन्तु अभ्यर्थी के दस्तावेजों की जांच उपरान्त अभ्यर्थी की व्यावसायिक योग्यता राजस्थान राज्य से है। अतः अंतिम चयन सूची में तदनुसार परिणाम जारी किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
129	ARTI JATAV	LTN115592	अभ्यर्थी के एससी श्रेणी में कुल प्रतिशत अंक 46.285 है। एवं कटऑफ प्रतिशत 46.097 है। अतः कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में व्यावसायिक योग्यता के कॉलम में संस्थान का नाम दर्ज नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता के अध्याधीन रोका गया था किन्तु अभ्यर्थी के दस्तावेजों की जांच उपरान्त अभ्यर्थी की व्यावसायिक योग्यता राजस्थान राज्य से है। अतः अंतिम चयन सूची में तदनुसार परिणाम जारी किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
130	VUAYA SHARMA	LTN119569	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करते हुये परिणाम रोके जाने की सूचना का उल्लेख करते हुये परिणाम रोके जाने के कारण से अवगत कराने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में व्यावसायिक योग्यता के कॉलम में संस्थान का नाम दर्ज नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता के अध्याधीन रोका गया था किन्तु अभ्यर्थी के दस्तावेजों की जांच उपरान्त अभ्यर्थी की व्यावसायिक योग्यता राजस्थान राज्य से है। अतः अंतिम चयन सूची में तदनुसार परिणाम जारी किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
131	SHEETAL SHARMA	LTN113355	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का परिणाम रोके जाने के कारण से अवगत कराये जाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में व्यावसायिक योग्यता के कॉलम में संस्थान का नाम दर्ज नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता के अध्याधीन रोका गया था किन्तु अभ्यर्थी के दस्तावेजों की जांच उपरान्त अभ्यर्थी की व्यावसायिक योग्यता राजस्थान राज्य से है। अतः अंतिम चयन सूची में तदनुसार परिणाम जारी किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित

132	ANISH KUMAR SAINI	LTN107828	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है अभ्यर्थी द्वारा विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदन कर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर परीक्षण करवा लिया गया है फिर भी अभ्यर्थी को अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	विभाग द्वारा इस भर्ती हेतु गठित मेडिकल बोर्ड की राय के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता hearing defect 5.5% श्रेणी की है। जो कि नियमानुसार विशेष योग्यजन श्रेणी में इस भर्ती में आरक्षण हेतु पात्र नहीं है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 45.276 बचते हैं जो कि ओबीसी एनसीएल श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.641 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहा है।	परिवेदना खारिज
133	DEEPAK NAGADA	LTT114225	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर दिव्यांग की जांच रिपोर्ट जमा करने में देरी होने के कारण परिणाम रोक गया है। परिणाम जारी करने बाबत निवेदन किया गया है।	संयोजक व सहआचार्य फोरेंसिक मेडिसिन विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा चिकित्सा अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर को प्रेषित पत्रांक 914 दिनांक 18.09.2023 के अनुसार यह अभ्यर्थी आज दिनांक तक अपनी जांच रिपोर्ट लेकर उपस्थित नहीं हुये अतः चिकित्सा अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर से भी इस बाबत अद्यतन सूचना प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर ही कार्यवाही संभव हो सकेगी।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
134	SHIVRAJ GURJAR	LTN111813	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है।	संयोजक व सहआचार्य फोरेंसिक मेडिसिन विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा चिकित्सा अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर को प्रेषित पत्रांक 914 दिनांक 18.09.2023 के अनुसार यह अभ्यर्थी आज दिनांक तक अपनी जांच रिपोर्ट लेकर उपस्थित नहीं हुये अतः चिकित्सा अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर से भी इस बाबत अद्यतन सूचना प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर ही कार्यवाही संभव हो सकेगी।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
135	MOHD ARMAN QURESHI	LTN106235	अभ्यर्थी का चयन विशेष योग्यजन श्रेणी के ओबीसी-सीएल वर्ग में सम्मिलित किये जाने हेतु।	अभ्यर्थी ने स्वयं सपथ पत्र प्रस्तुत कर स्वयं की श्रेणी ओबीसी क्रीमीलेयर किये जाने हेतु निवेदन किया है। अतः अभ्यर्थी की श्रेणी ओबीसी क्रीमीलेयर करते हुए अंतिम वरियता सूची में यथास्थान चयन किया जाना प्रस्तावित है। अभ्यर्थी ने विशेष योग्यजन श्रेणी में भी आवेदन किया है किन्तु सवाई मानसिंह चिकित्सालय में गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार अभ्यर्थी विशेष योग्यजन श्रेणी हेतु आरक्षण का पात्र नहीं है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
136	VISHNU KUMAR SAINI	LTN106874	अभ्यर्थी का विशेष योग्यजन वर्ग में रोके गये परिणाम को जारी करवाने बाबत।	अभ्यर्थी का चयन अंतरिम वरियता सूची में विशेष योग्यजन श्रेणी में किया जा चुका है किन्तु सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांगता के संबंध में स्पष्ट राय प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्थी का परिणाम रोक गया है। अभ्यर्थी की दिव्यांगता के संबंध में सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड से स्पष्ट राय उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

137	SHAMBHU KUMAR DANGEE	LTN108294	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करते हुये परिणाम रोके जाने की सूचना का उल्लेख करते हुये परिणाम रोके जाने के कारण से अवगत कराने बाबत निवेदन किया है।	संयोजक व सहआचार्य फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा चिकित्सा अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर को प्रेषित पत्रांक 914 दिनांक 18.09.2023 के अनुसार यह अभ्यर्थी आज दिनांक तक उपस्थित नहीं हुये अतः समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है कि उक्त अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त कर दी जावे अथवा उपस्थित होने हेतु एक अवसर प्रदान कर दिया जावे? साथ ही चिकित्सा अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर से भी इस बाबत अद्यतन सूचना प्राप्त किया जाना उचित रहेगा।	अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों हेतु पूर्व में नीति निर्धारण समिति द्वारा एक और अवसर नहीं दिये जाने का निर्णय लिया गया था चिकित्सा अधीक्षक एसएमएस चिकित्सालय से नवीनतम वस्तुस्थिति प्राप्त की जाये। यदि आवेदक निर्धारित अवधि में बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है तो अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जावे।
138	NITIN KUMAR PAREEK	LTN100450	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थी का चयन अन्तरिम वरियता सूची में विशेष योग्यजन श्रेणी में किया जा चुका है किन्तु सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांगता के संबंध में स्पष्ट राय प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्थी का परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थी की दिव्यांगता के संबंध में सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड से स्पष्ट राय उपरोक्त कार्यवाही की जा सकेगी। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।

38 / 7 34 28 6

139	CHIRAG NAGDA	LTN103978	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के रोके गये परिणाम का कारण संबंध में अवगत कराये जाने बाबत निवेदन किया है।	संयोजक व सहआचार्य फोरेंसिक मेडिसिन विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा चिकित्सा अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर को प्रेषित पत्रांक 900 दिनांक 16.09.2023 के अनुसार यह अभ्यर्थी आज दिनांक तक अपनी जॉब रिपोर्ट लेकर उपस्थित नहीं हुये अतः समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है कि उक्त अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त कर दी जाये अथवा उपस्थित होने हेतु एक अवसर प्रदान कर दिया जावे? साथ ही चिकित्सा अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर से भी इस बाबत अद्यतन सूचना प्राप्त किया जाना उचित रहेगा।	अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों हेतु पूर्व में नीति निर्धारण समिति द्वारा एक और अवसर नहीं दिये जाने का निर्णय लिया गया था चिकित्सा अधीक्षक एसएमएस चिकित्सालय से नवीनतम वस्तुस्थिति प्राप्त की जाये। यदि आवेदक निर्धारित अवधि में बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है तो अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जावे।
140	RAJNESH YADAV	LTN102180	अभ्यर्थी के ओबीसी में विशेष योग्यता वर्ग में कुल प्रतिशत अंक 44.683 है। एवं मेरे से कम 36, 680 वाले का चयन सूची में नाम है। अतः कटऑफ से अधिक अंक होने के बाद भी सूची में नाम नहीं होने पर अंतिम सूची में नाम चुनवाने हेतु परिवेदना।	अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दस्तावेज सत्यापन हेतु परिवेदना प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त दिनांक 26.09.2023 को दस्तावेज सत्यापन कराया गया है किन्तु अभ्यर्थी की दिव्यांगता के संबंध में सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर से किसी भी प्रकार की कोई सूचना संस्थान को प्राप्त नहीं हुई है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है कि उक्त अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त कर दी जाये अथवा उपस्थित होने हेतु एक अवसर प्रदान कर दिया जावे? साथ ही चिकित्सा अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर से भी इस बाबत अद्यतन सूचना प्राप्त किया जाना उचित रहेगा।	अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों हेतु पूर्व में नीति निर्धारण समिति द्वारा एक और अवसर नहीं दिये जाने का निर्णय लिया गया था चिकित्सा अधीक्षक एसएमएस चिकित्सालय से नवीनतम वस्तुस्थिति प्राप्त की जाये। यदि आवेदक निर्धारित अवधि में बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है तो अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जावे।

31 / 7 5/11 10/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11

141	HEMANT KUMAR BAIRWA	LTN120510	परिवेदना संलग्न नहीं है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक 550 दिनांक 28.2.2023 संलग्न किया है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र लैब टेक्नीशियन भर्ती 2023 हेतु इस भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा समान प्रकरण डी.बी. याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार में निर्णय पारित कर राज्य पक्ष में याचिका को खारिज कर दिया है। अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम दिनांक तक आर.पी.एम.सी. में रजिस्टर्ड नहीं था अतः इस भर्ती हेतु पात्र नहीं होने से आवेदन खारिज किया गया। परिवेदना खारिज किया जाना प्रस्तावित है।	परिवेदना खारिज
142	HEMANT GOYAL	LTN120171	माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या 2846/2023 की प्रति संलग्न कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम शामिल करने बाबत।	अभ्यर्थी द्वारा माननीय न्यायालय में रिट याचिका संख्या 2846/2023 दायर की थी जिसे माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.8.2023 के माध्यम से Infructuous मानते हुए खारिज किया जा चुका है। अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम दिनांक तक आर.पी.एम.सी. में रजिस्टर्ड नहीं था अतः इस भर्ती हेतु पात्र नहीं होने से आवेदन खारिज किया गया। परिवेदना खारिज किया जाना प्रस्तावित है।	परिवेदना खारिज
143	DILKUSH MEENA	LTN112124	कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय आर.पी.एम.सी. का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया जिससे स्पष्ट है कि आवेदन के समय अभ्यर्थी आर.पी.एम.सी. में पंजीकृत नहीं था। अतः आवेदन के समय समस्त अर्हताएं पूरी नहीं करने के कारण विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु पात्र नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी रिट याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय उच्च न्यायालय ने आवेदन के समय निर्धारित योग्यता पूरी नहीं होने पर अभ्यर्थी को पात्र नहीं माने जाने के राज्य सरकार के निर्णय को सही बताया है।	परिवेदना खारिज
144	AADITYA CHOUHAN	LTN112061	एससी वर्ग में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय आर.पी.एम.सी. का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया जिससे स्पष्ट है कि आवेदन के समय अभ्यर्थी आर.पी.एम.सी. में पंजीकृत नहीं था। अतः आवेदन के समय समस्त अर्हताएं पूरी नहीं करने के कारण विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु पात्र नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी रिट याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय उच्च न्यायालय ने आवेदन के समय निर्धारित योग्यता पूरी नहीं होने पर अभ्यर्थी को पात्र नहीं माने जाने के राज्य सरकार के निर्णय को सही बताया है।	परिवेदना खारिज
145	RADHA MOHAN SHARMA	LTN120141	सामान्य वर्ग में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	अभ्यर्थी ने पंजाब टैक्नीकल यूनिवर्सिटी सं डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण किया है। अभ्यर्थी का आर.पी.एम.सी. में रजिस्ट्रेशन नहीं है। अतः रजिस्ट्रेशन के अभाव में अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु पात्र नहीं है।	परिवेदना खारिज
146	PRIYANKA PARGI	LTT116091	आरपीएमसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन स्वीकार कर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने बाबत।	अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि को राजस्थान पैरामेडिकल कॉन्सिल में पंजीकृत नहीं थी। अभ्यर्थी का पंजीयन दिनांक 01.09.2023 को हुआ है। इस प्रकार इस भर्ती हेतु पात्र नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी रिट याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय उच्च न्यायालय ने आवेदन के समय निर्धारित योग्यता पूरी नहीं होने पर अभ्यर्थी को पात्र नहीं माने जाने के राज्य सरकार के निर्णय को सही बताया है।	परिवेदना खारिज
147	POOJA RATHORE	LTN102276	एससी महिला वर्ग में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	राजस्थान पैरामेडिकल कॉन्सिल द्वारा अभ्यर्थी का पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है जिसके कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की गई है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
148	VIVEK SHARMA	LTN117015	प्रार्थी का आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। जिसके संदर्भ में प्रार्थी ने न्यायालय में याचिका लगाई है, जो अभी भी विचारधीन है। प्रार्थी ने अपनी 9 वर्ष की सेवाओं को देखते हुए समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की है।	प्रार्थी का रजिस्ट्रेशन आर.पी.एम.सी. में नहीं हुआ है। अतः प्रार्थी नियमानुसार इस भर्ती हेतु पात्र नहीं है।	परिवेदना खारिज
149	PRAKASH CHANDRA KUMAWAT	LTT118118	दिनांक 01.09.23 को जारी आरपीएमसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन स्वीकार कर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने बाबत।	अभ्यर्थी नियमानुसार आवेदन की अंतिम तारीख तक आर.पी.एम.सी. में रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण इस भर्ती हेतु पात्र नहीं है।	परिवेदना खारिज

150	DHURA RAM MEGHWAL	LTN119732	मेने कोविड में अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य किया है और संविदा लैब अेक्नीशियन का 3 साल का अनुभव है। अतः प्रार्थी के अनुभव को मानकर सूची में सम्मिलित करने बाबत।	राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा अम्बुथिया का पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है जिसके कारण अम्बुथिया की पात्रता निरस्त की गई है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
151	RAJU RAM YADAV	LTN104256	ओबीसी नॉन क्रिमीलियर वर्ग में अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने बाबत।	अम्बुथी आर.पी.एम.सी. में पंजीकृत नहीं है। अतः इस भर्ती हेतु पात्र नहीं है।	परिवेदना खारिज
152	ASHOK VIRASH	LTN118354	अम्बुथी ने परिवेदना प्रस्तुत कर एच.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 13810/2023 में तहत् द्वितीय याचिकाकर्ता के रूप में स्वयं की आईडी को माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के दृष्ट रोकें गये परिणाम में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	अम्बुथी का राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल में पंजीकरण दिनांक 12.07.2023 को किया गया है जो कि आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद का होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। इस प्रकार अम्बुथी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
153	NIRMA BISHNOI	LTN116529	अम्बुथी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है।	राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा अम्बुथिया का पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है जिसके कारण अम्बुथिया की पात्रता निरस्त की गई है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
154	SACHIN JAIN	LTN118695	इंडब्ल्यूएस वर्ग में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा अम्बुथिया का पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है जिसके कारण अम्बुथिया की पात्रता निरस्त की गई है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
155	ABHILASH SINGH HADA	LTN120021	इंडब्ल्यूएस वर्ग में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा अम्बुथिया का पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है जिसके कारण अम्बुथिया की पात्रता निरस्त की गई है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना खारिज
156	NITESH KUMAR PATIDAR	LTT114279	अम्बुथी का अंतिम सूची में नाम सम्मिलित करने बाबत।	अम्बुथी का राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल में पंजीकरण दिनांक 21.08.2023 को किया गया है जो कि आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद का होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। इस प्रकार अम्बुथी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
157	PANKAJ PANDYA	LTT113816	अम्बुथी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है।	राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा अम्बुथिया का पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है जिसके कारण अम्बुथिया की पात्रता निरस्त की गई है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
158	ROHIT GEHLOT	LTN105102	अम्बुथी द्वारा ऑनलाइन कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अम्बुथी का राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल में पंजीकरण दिनांक 14.08.2023 को किया गया है जो कि आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद का होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। इस प्रकार अम्बुथी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
159	VIRENDRA SINGH SINGHMAR	LTN113380	अम्बुथी के ओबीसी-एनसीएल श्रेणी में कुल प्रतिशत अंक 56.327 है। एवं कटऑफ प्रतिशत 53.641 है। अतः कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा अम्बुथिया का पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है जिसके कारण अम्बुथिया की पात्रता निरस्त की गई है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
160	RITIK TEJSVI	LTN120128	अम्बुथी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के द्वारा भूलवश प्रविष्ट किये गये व्यावसायिक योग्यता के प्रथम वर्ष के प्राप्तांक 600 में से 362 के स्थान 400 में 362 संशोधित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा अम्बुथिया का पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है जिसके कारण अम्बुथिया की पात्रता निरस्त की गई है। इस प्रकार अम्बुथी के प्राप्तांकों को संशोधित किये जाने की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
161	SHAHRAKH KHAN	LTN104406	अम्बुथी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है।	अम्बुथी द्वारा आवेदन के समय आर.पी.एम.सी. का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया जिससे स्पष्ट है कि आवेदन के समय अम्बुथी आर.पी.एम.सी. में पंजीकृत नहीं था। अतः आवेदन के समय समस्त अर्हताएं पूरी नहीं करने के कारण विज्ञापित की शर्त के अनुसार अम्बुथी इस भर्ती हेतु पात्र नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरण डी. वी रिट याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जेवा में माननीय उच्च न्यायालय ने आवेदन के समय निर्धारित योग्यता पूरी नहीं की होने पर अम्बुथी की पात्र नहीं माने जाने के राज्य सरकार के निर्णय को सही बताया है।	परिवेदना खारिज
162	ASHUTOSH SHARMA	LTN111251	अम्बुथी के इंडब्ल्यूएस श्रेणी में कुल प्रतिशत अंक 56.71 है। एवं कटऑफ प्रतिशत 50.17 है। अतः कोविड काल में किये गये कार्य के बोनस अंकों का लाभ देते हुए प्रविजनल सूची में नाम जुड़वाने हेतु परिवेदना।	राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा अम्बुथिया का पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है जिसके कारण अम्बुथिया की पात्रता निरस्त की गई है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना खारिज

163	ABDUL RAZZAK	LTN117237	रोके गये परिणाम को जारी करवाने बाबत।	अभ्यर्थी का परिणाम राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से रजिस्ट्रेशन के अंतिम सत्यापन के अध्यक्षीन रोका गया था। राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से प्राप्त सूचना अनुसार अभ्यर्थी दिनांक 20.08.2020 से पंजीकृत है। अंतिम वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	यदि आर.पी.एम.सी. से प्राप्त सूचना अनुसार अभ्यर्थी आवेदन के समय पंजीकृत है तो परिणाम जारी किया जाये। साथ ही आर.पी.एम.सी. को प्रोवीजल सूची में चयनितों व यदि परिवेदना /माननीय न्यायालय के आदेशों से कोई चयन होता है तो उसकी सूची अद्यतन करने हेतु हेतु गिजवाई जाये।
164	CHHVI SWAMI	LTN118287	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ आरपीएमसी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कि दिनांक 28.08.2023 से है जिसकी पुष्टि आरपीएमसी से की जा चुकी है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को पात्र मानते हुये यथास्थान वरीयता में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। पूर्व में रजिस्ट्रेशन दिनांक में त्रुटि हो जाने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता सहवन से निरस्त हो गई थी।	परिवेदना स्वीकार्य है।
165	KOMAL PRAJAPAT	LTN114282	अभ्यर्थी का विवाह विच्छिन्न वर्ग में रोके गये परिणाम को जारी करवाने बाबत।	अभ्यर्थी का परिणाम राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से रजिस्ट्रेशन के अंतिम सत्यापन के अध्यक्षीन रोका गया था। राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से प्राप्त सूचना अनुसार अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन क्रमांक 6444 दिनांक 23.6.2022 से पंजीकृत है अतः इसके उपरान्त के अनुभव का लाभ देय है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
166	AARATI	LTN103228	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित करते हुये परिणाम रोके जाने की सूचना से अवगत कराते हुये दस्तावेजों का पुनरावलोकन कर अंतिम वरीयता सूची में सम्मिलित किये जोन बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किया जाकर राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से सत्यापन के अध्यक्षीन परिणाम रोका गया था। अब आरपीएमसी द्वारा अभ्यर्थी के पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है जिसके आधार पर अभ्यर्थी का परिणाम अंतिम वरीयता सूची में जारी कर दिया जाना प्रस्तावित है।	आरपीएमसी से प्राप्त सूचना के आधार पर परिणाम जारी किया जाये।
167	MUKESH KUMAR SHARMA	LTN117813	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित करते हुये परिणाम रोके जाने की सूचना से अवगत कराते हुये दस्तावेजों का पुनरावलोकन कर अंतिम वरीयता सूची में सम्मिलित किये जोन बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किया जाकर उनका परिणाम आरपीएमसी से रजिस्ट्रेशन के सत्यापन के अध्यक्षीन रोका गया था चूंकि अब आरपीएमसी द्वारा अभ्यर्थी के रजिस्ट्रेशन होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अतः अभ्यर्थी का परिणाम प्रकाशित कर दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
168	NIRMALA KUMAWAT	LTN113109	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित करते हुये परिणाम रोके जाने की सूचना का उल्लेख करते हुये परिणाम रोके जाने के कारण से अवगत कराने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किया जा चुका है किन्तु आरपीएमसी से रजिस्ट्रेशन की सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्थी का परिणाम रोका गया था अब आरपीएमसी द्वारा अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन होने की सूचना से अवगत कराया गया है जिसके आधार पर अभ्यर्थी का परिणाम जारी कर दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
169	AKSHAY KUMAR	LTN114365	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अन्तरिम वरीयता सूची में परिणाम रोके जाने के कारण से अवगत कराये जाने बाबत निवेदन किया है।	तत्समय राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से अभ्यर्थी के पंजीकरण के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्थी को अन्तरिम वरीयता सूची में सम्मिलित कर परिणाम रोका गया था अब आरपीएमसी द्वारा अभ्यर्थी का पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया है। अतः परिणाम जारी किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित

170	HONEY MANE	LTN117608	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करते हुये परिणाम रोके जाने की सूचना का उल्लेख करते हुये परिणाम रोके जाने के कारण से अवगत कराया गया बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया को अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित किया जा चुका है किन्तु आरपीएमसी से रजिस्ट्रेशन की सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्थिया का परिणाम रोका गया था अब आरपीएमसी द्वारा अभ्यर्थिया का रजिस्ट्रेशन होने की सूचना से अवगत कराया गया है जिसके आधार पर अभ्यर्थिया का परिणाम जारी कर दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
171	VINOD NINAMA	LTT103840	अभ्यर्थी के टीएसपी एसटी श्रेणी में कुल प्रतिशत अंक 41.31 है। एवं कटऑफ प्रतिशत 36.41 है। अतः अंतिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	अभ्यर्थी को अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित किया जा चुका है किन्तु अभ्यर्थी के पंजीकरण के संबंध आरपीएमसी से सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्थी का परिणाम रोका गया था अब आरपीएमसी द्वारा अभ्यर्थी के पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अभ्यर्थी का परिणाम जारी कर दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
172	MANJU GUPTA	LTN105386	अभ्यर्थी द्वारा अन्तरिम वरियता सूची में स्वयं का परिणाम रोके जाने के कारण दस्तावेज संलग्न कर कोई दस्तावेज की कमी होने पर अवगत कराये जोन बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को अन्तरिम वरियता सूची में सम्मिलित किया जा चुका है किन्तु अभ्यर्थी के पंजीकरण के संबंध आरपीएमसी से सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्थी का परिणाम रोका गया था अब आरपीएमसी द्वारा अभ्यर्थी के पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अभ्यर्थी का परिणाम जारी कर दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
173	MANISHA GURJAR	LTN103994	परिणाम रोके जाने का कारण स्पष्ट किये जाने व जाति तथा श्रेणी एमबीसी-एनसीएल को मान्य/स्वीकार कर प्राप्तांकों व श्रेणी के आधार पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु परिवेदना।	अभ्यर्थी को अन्तरिम वरियता सूची में सम्मिलित किया जा चुका है किन्तु अभ्यर्थी के पंजीकरण के संबंध आरपीएमसी से सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्थी का परिणाम रोका गया था अब आरपीएमसी द्वारा अभ्यर्थी के पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अभ्यर्थी का परिणाम जारी कर दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
174	VINOD NINAMA	LTT103840	अभ्यर्थी के टीएसपी एसटी श्रेणी में कुल प्रतिशत अंक 41.31 है। एवं कटऑफ प्रतिशत 36.41 है। अतः अंतिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	अभ्यर्थी को अन्तरिम वरियता सूची में सम्मिलित किया जा चुका है किन्तु अभ्यर्थी के पंजीकरण के संबंध आरपीएमसी से सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्थी का परिणाम रोका गया था अब आरपीएमसी द्वारा अभ्यर्थी के पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अभ्यर्थी का परिणाम जारी कर दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
175	UMA SEN	LTN104732	प्रार्थी द्वारा सभी दस्तावेज पुनः अपलोड कर दस्तावेजों की जांच कर रोके गये परिणाम को जारी करने हेतु परिवेदना दी है।	अभ्यर्थी को अन्तरिम वरियता सूची में सम्मिलित किया जा चुका है किन्तु अभ्यर्थी के पंजीकरण के संबंध आरपीएमसी से सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्थी का परिणाम रोका गया था अब आरपीएमसी द्वारा अभ्यर्थी के पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अभ्यर्थी का परिणाम जारी कर दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
176	NEELAM CHOUDHARY	LTN105813	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के रोके गये परिणाम का कारण से अवगत कराये जाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को अन्तरिम वरियता सूची में सम्मिलित किया जा चुका है किन्तु अभ्यर्थी के पंजीकरण के संबंध आरपीएमसी से सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्थी का परिणाम रोका गया था अब आरपीएमसी द्वारा अभ्यर्थी के पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अभ्यर्थी का परिणाम जारी कर दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
177	PRAMOD KUMAR MEENA	LTN114293	अभ्यर्थी के जॉन टीएसपी क्षेत्र के एसटी वर्ग में कुल प्रतिशत अंक 45.759 है। एवं कटऑफ प्रतिशत 36.680 है। अतः कटऑफ से अधिक अंक होने के बावद भी सूची में नाम नहीं होने पर अंतिम सूची में नाम चुड़वाने हेतु परिवेदना।	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ आरपीएमसी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कि दिनांक 15.06.2023 से है जिसकी प्रुष्टि आरपीएमसी से की जा चुकी है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को पात्र मानते हुये यथास्थान वरियता में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। पूर्व में रजिस्ट्रेशन दिनांक में त्रुटि हो जाने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता सहकन से निरस्त हो गई थी।	परिवेदना स्वीकार्य है।
178	GARIMA RAJPAL	LTN113895	रोके गये परिणाम का कारण बताते हुए निस्तारित करवाने हेतु परिवेदना।	अभ्यर्थी को अन्तरिम वरियता सूची में सम्मिलित किया जा चुका है किन्तु अभ्यर्थी के पंजीकरण के संबंध आरपीएमसी से सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्थी का परिणाम रोका गया था अब आरपीएमसी द्वारा अभ्यर्थी के पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अभ्यर्थी का परिणाम जारी कर दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
179	SADDAM HUSAIN KANIYA	LTN116195	मेरे द्वारा लगाया गया Sports Certificate Inter-University West Zone /All India University Tournament का है। खेल प्रमाण-पत्र की सही से जांच कर प्रोविजनल लिस्ट में शामिल करने बाबत।	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर का जारी किया गया है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार न तो आयोजक एसोसिएशन अथवा इंडियन यूनिवर्सिटी है, न ही अभ्यर्थी कोई पदक विजेता है, अतः अभ्यर्थी उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग हेतु पात्र नहीं है।	परिवेदना खारिज

180	HEMANT KUMAR SAINI	LTN117092	खेल प्रमाण-पत्र की सही से जांच कर प्रोविजनल लिस्ट में शामिल करने बाबत।	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय दो खेल प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं जिनमें से एक प्रमाण पत्र चौथी राज्य यूथ क्रूरल गेम्स प्रतियोगिता का है एवं दूसरा चौथी नेशनल यूथ क्रूरल गेम्स जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था द्वारा जारी नहीं है। विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी हेतु पात्र नहीं है।	परिवेदना खारिज
181	MOHAMMED ISLAAM	LTN118482	उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में शामिल कर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने बाबत।	याचिकाकर्ता द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा के तहत आवेदन ही नहीं किया। अतः अभ्यर्थी को उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग का लाभ दिना जान संभव प्रतीत नहीं होता है।	परिवेदना खारिज
182	SUNIL KUMAR	LTN101399	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है किन्तु अभ्यर्थी ने उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन किया है और आइस हॉकी फेडरेशन द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिये होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी होने के लिये या तो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इंडियन पैरालिम्पिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित अथवा उपरोक्त दोनों में से किसी एक से सम्बद्ध फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया होना चाहिये। इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से प्राप्त सूचना अनुसार आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं है। अतः प्रस्तुत खेलप्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं है।	परिवेदना खारिज
183	PRADEEP SINGH RATHORE	LTN101620	उत्कृष्ट खिलाड़ी का लाभ देते हुये अंतरिम प्रोविजनल सूची में नाम शामिल करने हेतु परिवेदना।	अभ्यर्थी ने राष्ट्रीय खेल कूद समारोह 2010-11 व 2011-12 में भाग लिया जिसका आयोजन विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली द्वारा किया गया। नियमानुसार राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन स्कूल गेम्स फेडरेशन अथवा इंडिया द्वारा स्वयं किया गया हो एवं इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी पदक विजेता हो तो ही उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय होगा।	परिवेदना खारिज
184	RAJBALA KUMARI	LTN120074	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थी ने स्वयं के दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम की सूची, जिसमें अभ्यर्थी के ओबीसी वर्ग में 42,959 प्रतिशत प्राप्तांक है तथा अन्तरिम चयन सूची के दो पृष्ठ जिसमें ओबीसी उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में तीन अभ्यर्थी चयनित हैं, की सूची अपलोड की हैं। उक्त तीनों अभ्यर्थियों के प्रतिशत प्राप्तांक अभ्यर्थी राजबाला से कम है। किन्तु उक्त तीनों अभ्यर्थियों का चयन ओबीसी वर्ग में उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में किया गया है। अभ्यर्थी राजबाला द्वारा एथलेटिक्स फेडरेशन अथवा इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है जो आई.ओ.ए. से संबद्ध (एफिलियेटेड) फेडरेशन नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
185	CHANDU	LTN105793	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उसके द्वारा ओबीसी एनसीएल स्पोर्ट्स वर्ग में आवेदन किया गया है तथा 15वा गेम्स एवं 13वा यूथ गेम्स अत्या पत्या चैम्पियनशिप 2017 में उनका टीम द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है तथा 31वा गेम्स एवं 27वी यूथ गेम्स नेशनल अत्या पत्या चैम्पियनशिप 2017 में भाग लिया गया है जिसके मध्यनजर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं को ओबीसी एनसीएल स्पोर्ट्स कैटेगरी में अन्तरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किये जायें बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल स्पोर्ट्स कैटेगरी से आवेदन किया गया था जिसमें अभ्यर्थी द्वारा Atya Patya Federation of India से जारी स्पोर्ट्स प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध (Affiliated) फेडरेशन का नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अतः अभ्यर्थी को स्पोर्ट्स श्रेणी में आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है।	परिवेदना खारिज
186	ADITYA SIKHWAL	LTN106118	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, केवल खेल के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी ने राष्ट्रीय खेल कूद समारोह 2016-2017 में भाग लिया जिसका आयोजन विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली द्वारा किया गया। नियमानुसार राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन स्कूल गेम्स फेडरेशन अथवा इंडिया स्वयं किया हो एवं इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी पदक विजेता हो तो ही उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय होगा। इस प्रकार अभ्यर्थी को उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग का आरक्षण का लाभ देय नहीं है।	परिवेदना खारिज

38

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

187	HARSHITA GOYAL	LTN105881	अभ्यर्थी को खेल प्रमाण-पत्र की सही से जांच कर प्रोविजनल लिस्ट में शामिल करने बाबत।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान दो प्रमाण पत्र Ball Badminton Federation of India से जारी खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जो कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इण्डियन ऑलिंपिक एसोसिएशन से सम्बद्ध (Affiliated) फेडरेशन का नहीं होने के कारण मान्य नहीं है एवं अन्य प्रमाण पत्र जो Rajasthan State Ball Badminton Association द्वारा जारी किया गया है, प्रस्तुत किया है जो नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आरक्षण के लाभ हेतु मान्य नहीं है।	परिवेदना खारिज.
188	ANIL CHANDAWAT	LTN106817	अभ्यर्थी का चयन उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में कर खेल प्रमाण पत्र का सत्यापन इंडियन ऑलिंपिक एसोसिएशन की वेबसाइट से करवाने हेतु परिवेदना।	अभ्यर्थी द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन कर नेशनल राईफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन से सम्बद्ध (Affiliated) संस्था द्वारा जारी नहीं है। विज्ञापित की शर्त के अनुसार राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी हेतु पात्र नहीं है।	परिवेदना खारिज
189	KANWAR PAL SINGH	LTN113874	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं की परिवेदना के साथ संलग्न खेल प्रमाण पत्र को सत्यापित कर उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने School Sports Education Association Of India द्वारा 2023 का जारी खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। नियमानुसार राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन स्कूल गेम्स फेडरेशन अंश इंडिया स्वयं किया हो एवं इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी पदक विजेता हो तो ही उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय होगा। इस प्रकार अभ्यर्थी को उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग का आरक्षण का लाभ देय नहीं है।	परिवेदना खारिज
190	MADAN LAL	LTN102470	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, केवल खेल के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अन्तरिम वरियता सूची में अभ्यर्थी का चयन उत्कृष्ट खिलाड़ी में खेल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अध्याधीन किया गया है। खेल प्रमाण पत्र के सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
191	DEEPAK CHOUDHARY	LTN105674	प्राथी ने उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन किया है और एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज खेल प्रमाण पत्र की ऑफलाईन सत्यापन कर प्रावधानानुसार नियुक्ति देने हेतु परिवेदना दी है।	अभ्यर्थी द्वारा एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा जारी खेलकूद प्रमाण पत्र संलग्न करते हुये स्वयं को उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में चयन किये जाने हेतु निवेदन किया है जो कि प्रथम दृष्टया कार्मिक विभाग द्वारा वर्ष-2019 में जारी अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में उचित प्रतीत होता है। अतः अभ्यर्थी को उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में सम्मिलित करते हुये चयन की स्थिति में खेल प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन परिणाम शेका जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
192	PRIYANKA JANGIR	LTN103980	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकण्डरी एजुकेशन दिल्ली द्वारा इन्टर स्कूल स्पोर्ट्स एण्ड गेम्स कम्पीटीशन 2012-13 जारी खेल प्रमाण पत्र की पुनः जांच कर उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में चयन किये जाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकण्डरी एजुकेशन, दिल्ली द्वारा जारी किया गया है। नियमानुसार स्कूल खेलों का आयोजन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्वयं किया गया हो एवं इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी पदक विजेता हो तो ही उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय होगा।	परिवेदना खारिज
193	LEKHRAJ LOCCHIB	LTN107662	खेल प्रमाण-पत्र जोड़ कर दस्तावेज सत्यापन सूची में नाम जुड़वाने बाबत।	अभ्यर्थी ने 29वीं जिला स्तरीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयी छात्र खेलकूद प्रतियोगिता सत्र 2011-12 भाग लिया। नियमानुसार स्कूल खेलों का आयोजन स्कूल गेम्स फेडरेशन अंश इंडिया द्वारा स्वयं किया गया हो एवं इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी पदक विजेता हो तो ही उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय होगा।	परिवेदना खारिज

38 / 7 → [Signature] → [Signature] → [Signature] → [Signature] → [Signature]

196	RAMESH KUMAR RAIGAR	LTN112946	1. अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अभ्यर्थियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुभव आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुभव का शून्य करने बाबत निवेदन किया है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115379, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माध्यम सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अभ्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।	परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अभ्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
197	LAKSHITA BORANA	LTN116134	1. अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अभ्यर्थियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुभव आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुभव का शून्य करने बाबत निवेदन किया है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115379, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माध्यम सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अभ्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।	परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अभ्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
198	RAHUL CHAND SHARMA	LTN116938	अभ्यर्थी द्वारा कोई ऑनलाइन परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल निम्नलिखित अभ्यर्थी के आईडी क्रमांक अंकित करते हुये अनुभव रजिस्ट्रेशन दिनांक के पहले का बताया है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माध्यम सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अभ्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।	परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अभ्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

31/11/23

Page 36 of 55

you 6

199	VINEET KUMAR	LTN101044	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अभ्यर्थियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुभव आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुभव का शून्य करने बाबत निवेदन किया है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115379, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752, LTN117638, LTN115496, LTN116553, LTN117909</p> <p>2. आईडी संख्या LTN117778, LTN117930 के अनुभव प्रमाण पत्रों को पुनः जाँचकर बोनस अंक देने बाबत निवेदन किया है।</p> <p>3. आईडी संख्या LTN118377, LTN116989 का अनुभव लेब सहायक के पद पर बताया गया है।</p> <p>4. आईडी संख्या LTN116269, LTN115020 के दरतावेज सत्यापन एवं अन्तरिम वरियता सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशतों के अन्तर के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>5. आईडी संख्या LTN118322, LTN114575, LTN115974, LTN107239, LTN110971, LTN113821, LTN117510, LTN114521, LTN109671, LTN113210, LTN113833, LTN120031, LTN113076 के संबंध में राजस्थान वैसा मेडिकल कॉलेज में पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है।</p> <p>6. आईडी संख्या LTN114723 के खेल प्रमाण पत्र को फर्जी/कूटस्थित बताया गया है।</p>	<p>1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाम प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अभ्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाम प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा उल्लेखित आईडी क्रमांक LTN117778, LTN117930 के अनुभव का पुनःसत्यापन कराया जाने के उपरान्त निघारित बोनस देय होगा।</p> <p>3. अभ्यर्थी का अनुभव लेब सहायक पद का है माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 14007/2023 हेम सिंह चौहान बनाम सरकार में कहा है कि लेब सहायक व लेब टेक्नीशियन का कार्य एक समान है, एवं रिट याचिका संख्या 1669/2022 नरेन्द्र बरवाल में निर्देश दिये है कि पदनाम की अपेक्षा संम्पादित कार्य के आधार पर अनुभव के लाम का निर्धारण किया जाये तथा रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में भर्ती नियम 1985 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश दिये हैं। अतः उपरोक्त के आधार पर अभ्यर्थी का कोविड काल में लेब सहायक पद के अनुभव को मान्य किया जाने बाबत निर्णयार्थ सीति निर्धारण समिति के समक्ष रखा जाना प्रस्तावित है।</p> <p>4. दरतावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अभ्यर्थी द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जबकि अन्तरिम चयन सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना दरतावेजों के जाँच उपरान्त की गई है। इस प्रकार दरतावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत एवं अन्तरिम चयन सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत में अन्तर आना स्वभाविक है।</p> <p>5. अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना में उल्लेखित आईडी क्रमांक के संबंध में आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>6. खेल प्रमाण पत्रों को सत्यापन संबंधित फेडरेशन/इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन से करवाया जा रहा है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी।</p>	<p>परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अभ्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>
200	Neha sankhla	LTN100535	<p>अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अभ्यर्थियों के संबंध में चयन में त्रुटि के संबंध में अवगत कराया है:-</p> <p>1. LTN118106, LTN109980, LTN108780, LTN109863 दरतावेज सत्यापन एवं अन्तरिम वरियता सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशतों के अन्तर के संबंध में उल्लेख किया है।</p> <p>2. LTN112824, LTN108259 को दरतावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में सम्मिलित नहीं किया गया किन्तु अन्तरिम वरियता सूची में सम्मिलित किया गया है।</p> <p>3.</p>	<p>1. दरतावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अभ्यर्थी द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जबकि अन्तरिम चयन सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना दरतावेजों के जाँच उपरान्त की गई है। इस प्रकार दरतावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत एवं अन्तरिम चयन सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत में अन्तर आना स्वभाविक है।</p> <p>2. आईडी संख्या LTN112824, LTN108259 को दिनांक 31.08.2023 को प्रातः 11:30 के 01:30 के मध्य क्रमशः क्रम संख्या 2675 एवं 2677 पर आमंत्रित किया गया है।</p>	<p>परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अभ्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>

38

201	AMIT SONI	LTN100167	<p>1. अम्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अम्यर्थियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुभव आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुभव का शून्य करने बाबत निवेदन किया है:-</p> <p>LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115379, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752</p>	<p>माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माघव सिंघ बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अम्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।</p>	<p>परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अम्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>
202	ANISH SARVA	LTN112121	<p>1. अम्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अम्यर्थियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुभव आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुभव का शून्य करने बाबत निवेदन किया है:-</p> <p>LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115379, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752, LTN117638, LTN115496, LTN116553, LTN117909</p> <p>2. आईडी संख्या LTN117778, LTN117930 के अनुभव प्रमाण पत्रों को पुनः जाँचकर बोनस अंक देने बाबत निवेदन किया है।</p> <p>3. आईडी संख्या LTN118377, LTN116989 का अनुभव लेब सहायक के पद पर बताया गया है।</p> <p>4. आईडी संख्या LTN116269, LTN115020 के दस्तावेज सत्यापन एवं अन्तरिम वरियता सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशतों के अन्तर के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>5. आईडी संख्या LTN118322, LTN114575, LTN115974, LTN107239, LTN110971, LTN113821, LTN117510, LTN114521, LTN109671, LTN113210, LTN113833, LTN120031, LTN113076 के संबंध में राजस्थान पैरा मेडिकल कॉलेज में पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है।</p> <p>6. आईडी संख्या LTN114723 के खेल प्रमाण पत्र को फर्जी/मूटरचित बताया गया है।</p>	<p>1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माघव सिंघ बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अम्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>2. अम्यर्थी द्वारा उल्लेखित आईडी क्रमांक LTN117778, LTN117930 के अनुभव का पुनःसत्यापन कराया जाने के उपरान्त निर्धारित बोनस देय होगा।</p> <p>3. अम्यर्थी का अनुभव लेब सहायक पद का है माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 14007/2023 हेम सिंघ चौहान बनाम सरकार में कहा है कि लेब सहायक व लेब टेक्नीशियन का कार्य एक समान है, एवं रिट याचिका संख्या 1669/2022 नरेन्द्र बरवाल में निर्देश दिये हैं कि पदनाम की अपेक्षा संम्पादित कार्य के आधार पर अनुभव के लाभ का निर्धारण किया जाये तथा रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में गर्ती नियम 1965 के नियम-19 की सख्ती से पालना के निर्देश दिये हैं। अतः उपरोक्त के आधार पर अम्यर्थी का क्रेडिट काल में लेब सहायक पद के अनुभव को मान्य किया जाने बाबत निर्णयार्थी नीति निर्धारण समिति के समक्ष रखा जाना प्रस्तावित है।</p> <p>4. दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अम्यर्थी द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जबकि अन्तरिम चयन सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना दस्तावेजों के जाँच उपरान्त की गई है। इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत एवं अन्तरिम चयन सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत में अन्तर आना स्वभाविक है।</p> <p>5. अम्यर्थी द्वारा परिवेदना में उल्लेखित आईडी क्रमांक के संबंध में आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>6. खेल प्रमाण पत्रों को सत्यापन संबंधित फेडरेशन/इम्पडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से करवाया जा रहा है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी।</p>	<p>परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अम्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>

39 / [Handwritten signatures and marks]

203	POOJA YADAV	LTN120332	1. अम्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अम्यर्थियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुभव आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुभव का शून्य करने बाबत निवेदन किया है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115379, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अम्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।	परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अम्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
204	NAVAL KISHOR JOULIYA	LTN101036	1. अम्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अम्यर्थियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुभव आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुभव का शून्य करने बाबत निवेदन किया है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115379, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अम्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।	परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अम्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
205	SURYA PRATAP SINGH	LTN114337	1. अम्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अम्यर्थियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुभव आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुभव का शून्य करने बाबत निवेदन किया है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115379, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अम्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।	परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अम्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

206	RAHUL PRAJAPAT	LTN109730	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अभ्यर्थियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुभव आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुभव का शून्य करने बाबत निवेदन किया है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115379, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752, LTN117638, LTN115496, LTN116553, LTN117909</p> <p>2. आईडी संख्या LTN117778, LTN117930 के अनुभव प्रमाण पत्रों को पुनः जाँचकर बोनस अंक देने बाबत निवेदन किया है।</p> <p>3. आईडी संख्या LTN118377, LTN116989 का अनुभव लेब सहायक के पद पर बताया गया है।</p> <p>4. आईडी संख्या LTN116269, LTN115020 के दस्तावेज सत्यापन एवं अन्तरिम वरियता सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशतों के अन्तर के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>5. आईडी संख्या LTN118322, LTN114575, LTN115974, LTN107239, LTN110971, LTN113821, LTN117510, LTN114521, LTN109671, LTN113210, LTN113833, LTN120031, LTN113076 के संबंध में राजस्थान पैरा मेडिकल कॉलेज में पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है।</p> <p>6. आईडी संख्या LTN114723 के खेल प्रमाण पत्र को फर्जी/कूटस्थित बताया गया है।</p>	<p>1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अभ्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा उल्लेखित आईडी क्रमांक LTN117778, LTN117930 के अनुभव का पुनःसत्यापन कराया जाने के उपरान्त निर्धारित बोनस देय होगा।</p> <p>3. अभ्यर्थी का अनुभव लेब सहायक पद का है माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 14007/2023 हेम सिंह चौहान बनाम सरकार में कहा है कि लेब सहायक व लेब टैक्नीशियन का कार्य एक समान है, एवं रिट याचिका संख्या 1669/2022 नरेन्द्र बरवाल में निर्देश दिये हैं कि पदनाम की अपेक्षा संपादित कार्य के आधार पर अनुभव के लाभ का निर्धारण किया जाये तथा रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में भर्ती नियम 1985 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश दिये हैं। अतः उपरोक्त के आधार पर अभ्यर्थी का कोविड काल में लेब सहायक पद के अनुभव को मान्य किया जाने बाबत निर्णयार्थ नीति निर्धारण समिति के समक्ष रखा जाना प्रस्तावित है।</p> <p>4. दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अभ्यर्थी द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जबकि अन्तरिम चयन सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना दस्तावेजों के जॉच उपरान्त की गई है। इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत एवं अन्तरिम चयन सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत में अन्तर आना स्वभाविक है।</p> <p>5. अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना में उल्लेखित आईडी क्रमांक के संबंध में आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>6. खेल प्रमाण पत्रों को सत्यापन संबंधित फेडरेशन/इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन से करवाया जा रहा है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी।</p>	<p>परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अभ्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>
207	KULDEEP SINGH PARIHAR	LTN105907	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अभ्यर्थियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुभव आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुभव का शून्य करने बाबत निवेदन किया है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN117481, LTN114870, LTN115379, LTN117660</p>	<p>1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 16214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अभ्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।</p>	<p>परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अभ्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>

38 / 7

[Handwritten signatures and marks]

208	AKSHAT TRIVEDI	LTN109048	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अभ्यर्थियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुभव आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुभव का शून्य करने बाबत निवेदन किया है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115379, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752, LTN117638, LTN115496, LTN116553, LTN117909</p> <p>2. आईडी संख्या LTN117778, LTN117930 के अनुभव प्रमाण पत्रों को पुनः जाँचकर बोनस अंक देने बाबत निवेदन किया है।</p> <p>3. आईडी संख्या LTN118377, LTN116989 का अनुभव लैब सहायक के पद पर बताया गया है।</p> <p>4. आईडी संख्या LTN116269, LTN115020 के दस्तावेज सत्यापन एवं अन्तरिम परियता सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशतों के अन्तर के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>5. आईडी संख्या LTN118322, LTN114575, LTN115974, LTN107239, LTN110971, LTN113821, LTN117510, LTN114521, LTN109671, LTN113210, LTN113833, LTN120031, LTN113076 के संबंध में राजस्थान वीरा मेडिकल कौंसिल में पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है।</p> <p>6. आईडी संख्या LTN114723 के खेल प्रमाण पत्र को फर्जी/कूटस्थित बताया गया है।</p>	<p>1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अभ्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा उल्लेखित आईडी क्रमांक LTN117778, LTN117930 के अनुभव का पुनर्सत्यापन कराया जाने के उपरान्त निर्धारित बोनस देय होगा।</p> <p>3. अभ्यर्थी का अनुभव लैब सहायक पद का है माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 14007/2023 हेम सिंह चौहान बनाम सरकार में कहा है कि लैब सहायक व लैब टेक्नीशियन का कार्य एक समान है, एवं रिट याचिका संख्या 1689/2022 नरेन्द्र बरवाल में निर्देश दिये हैं कि पदनाम की अपेक्षा संपादित कार्य के आधार पर अनुभव के लाभ का निर्धारण किया जाये तथा रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में भर्ती नियम 1985 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश दिये हैं। अतः उपरोक्त के आधार पर अभ्यर्थी का कोविड काल में लैब सहायक पद के अनुभव को मान्य किया जाने बाबत निर्णयार्थ नीति निर्धारण समिति के समक्ष रखा जाना प्रस्तावित है।</p> <p>4. दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अभ्यर्थी द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जबकि अन्तरिम चयन सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना दस्तावेजों के जाँच उपरान्त की गई है। इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत एवं अन्तरिम चयन सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत में अन्तर आना स्वभाविक है।</p> <p>5. अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना में उल्लेखित आईडी क्रमांक के संबंध में आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>6. खेल प्रमाण पत्रों को सत्यापन संबंधित फेरेशन/इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन से कराया जा रहा है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी।</p>	<p>परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अभ्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम परियता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>
-----	----------------	-----------	---	---	--


38

Handwritten signatures and marks:

- A large handwritten number '38'.
- Several handwritten signatures and initials in black ink.

209	RAVINDRA KUMAR JANGIR	LTN115186	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर गिन्नालिखित अभ्यर्थियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुभव आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुभव का शून्य करने बाबत निवेदन किया है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN117481, LTN114870, LTN118548, LTN115379, LTN116660, LTN115496, LTN1165531</p> <p>2. आईडी संख्या LTN117778, LTN117930 के अनुभव प्रमाण पत्रों को पुनः जाँचकर बोनस अंक देने बाबत निवेदन किया है।</p> <p>3. आईडी संख्या LTN118377 का अनुभव लैब सहायक के पद पर बताया गया है।</p> <p>4. आईडी संख्या LTN116269, LTN115020 के दस्तावेज सत्यापन एवं अन्तरिम वरियता सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशतों के अन्तर के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>5. आईडी संख्या LTN118322, LTN114575, LTN115974, LTN107239, LTN110971, LTN113821, LTN117510, LTN114521, LTN109671, LTN113210, LTN113833, LTN120031, LTN113076 के संबंध में राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल में पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है।</p> <p>6. आईडी संख्या LTN114723 के खेल प्रमाण पत्र को फर्जी/कूटस्थित बताया गया है।</p>	<p>1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट.पिटिशन संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अभ्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा उल्लेखित आईडी क्रमांक LTN117778, LTN117930 के अनुभव का पुनःसत्यापन कराया जाने के उपरान्त निर्धारित बोनस देय होगा।</p> <p>3. अभ्यर्थी का अनुभव लैब सहायक पद का है माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 14007/2023 हेम सिंह चौहान बनाम सरकार में कहा है कि लैब सहायक व लैब टेक्नीशियन का कार्य एक समान है, एवं रिट याचिका संख्या 1669/2022 नरेन्द्र बरवाल में निर्देश दिये हैं कि पदनाम की अपेक्षा संम्पादित कार्य के आधार पर अनुभव के लाभ का निर्धारण किया जाये तथा रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश दिये हैं। अतः उपरोक्त के आधार पर अभ्यर्थी का कोविड काल में लैब सहायक पद के अनुभव को मान्य किया जाने बाबत निर्णयार्थ नीति निर्धारण समिति के समक्ष रखा जाना प्रस्तावित है।</p> <p>4. दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अभ्यर्थी द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जबकि अन्तरिम चयन सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना दस्तावेजों के जाँच उपरान्त की गई है। इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत एवं अन्तरिम चयन सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत में अन्तर आना स्वभाविक है।</p> <p>5. अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना में उल्लेखित आईडी क्रमांक के संबंध में आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>6. खेल प्रमाण पत्रों को सत्यापन संबंधित फेडरेशन/इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन से करवाया जा रहा है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी।</p>	<p>परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अभ्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>
-----	-----------------------------	-----------	---	---	--


39



210	AMAN PRAKASH	LTN108608	<p>1. अर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अर्थियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुभव आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुभव का शून्य करने बाबत निवेदन किया है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115379, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752, LTN117638, LTN115496, LTN116553, LTN117909</p> <p>2. आईडी संख्या LTN117778, LTN117930 के अनुभव प्रमाण पत्रों को पुनः जाँचकर बोनस अंक देने बाबत निवेदन किया है।</p> <p>3. आईडी संख्या LTN118377, LTN116989 का अनुभव लेब सहायक के पद पर बताया गया है।</p> <p>4. आईडी संख्या LTN116269, LTN115020 के दस्तावेज सत्यापन एवं अन्तरिम वरियता सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशतों के अन्तर के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>5. आईडी संख्या LTN118322, LTN114575, LTN115974, LTN107239, LTN110971, LTN113821, LTN117510, LTN114521, LTN109671, LTN113210, LTN113833, LTN120031, LTN113076 के संबंध में राजस्थान पैरा मेडिकल कॉलेज में पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है।</p> <p>6. आईडी संख्या LTN114723 के खेल प्रमाण पत्र को फर्जी/कूटस्थित बताया गया है।</p>	<p>1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 साधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाम प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाम प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>2. अर्थी द्वारा उल्लेखित आईडी क्रमांक LTN117778, LTN117930 के अनुभव का पुनःसत्यापन कराया जाने के उपरान्त निर्धारित बोनस देय होगा।</p> <p>3. अर्थी का अनुभव लेब सहायक पद का है माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 14007/2023 हेम सिंह चौहान बनाम सरकार में कहा है कि लेब सहायक व लेब टैक्नीशियन का कार्य एक समान है, एवं रिट याचिका संख्या 1669/2022 नरेश बरवाल में निर्देश दिये हैं कि पदनाम की अपेक्षा सम्पादित कार्य के आधार पर अनुभव के लाम का निर्धारण किया जाये तथा रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में गर्ती नियम 1985 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश दिये हैं। अतः उपरोक्त के आधार पर अर्थी का कोविड काल में लेब सहायक पद के अनुभव को मान्य किया जाने बाबत निर्णयार्थ नीति निर्धारण समिति के समक्ष रखा जाना प्रस्तावित है।</p> <p>4. दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अर्थी द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जबकि अन्तरिम चयन सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना दस्तावेजों के जाँच उपरान्त की गई है। इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत एवं अन्तरिम चयन सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत में अन्तर आना स्वभाविक है।</p> <p>5. अर्थी द्वारा परिवेदना में उल्लेखित आईडी क्रमांक के संबंध में आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>6. खेल प्रमाण पत्रों को सत्यापन संबंधित फेडरेशन/इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन से करवाया जा रहा है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी।</p>	<p>परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>
211	DEVENDRA SAHU	LTN111475	<p>1. अर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अर्थियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुभव आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुभव का शून्य करने बाबत निवेदन किया है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115379, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752</p>	<p>1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 साधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाम प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि का लाम प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।</p>	<p>परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>

38 / 7 → [Handwritten signatures and marks]

212	VASEEM PARVEZ	LTN108919	<p>अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस केटेगरी में 130 सीटों के विरुद्ध 123 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई है शेष रिक्त रही 07 सीटों पर नियुक्ति जारी करने के साथ गिम्नसिखित बिन्दुओं पर परिवेदना प्रस्तुत की है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> आईडी संख्या LTN118377 श्री अजय कुमार शर्मा को लैब सहायक के पद का अनुभव प्राप्त होने के बावजूद भी बोनस अंको का लाभ प्रदान किया गया है जो अनुचित है। आईडी संख्या LTN117930 किशन पाराशर रजिस्ट्रेशन दिनांक 03.02.2022 को हुआ है फिर भी कोविड अवधि में कार्य करने के आधार पर 15 बोनस अंक प्रदान किये गये है जो कि न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। आईडी संख्या LTN119968, LTN109755 के रजिस्ट्रेशन दिनांक 27.06.2023 है फिर भी अभ्यर्थियों को 30 प्रतिशत बोनस अंक दिये गये है जो कि नियम विरुद्ध है। आईडी संख्या LTN114777 कृष्ण कुमार शर्मा का रजिस्ट्रेशन दिनांक 08.06.2022 है उसको 15 प्रतिशत बोनस अंक दिये गये है जो कि नियम विरुद्ध है। आईडी संख्या LTN114959 भूपेश शर्मा का रजिस्ट्रेशन दिनांक 07.04.2022 है जो कि 10 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये गये है जो कि नियम विरुद्ध है। 	<p>लैब टेक्नीशियन गतर्ती 2023 में ईडब्ल्यूएस-केटेगरी में 130 अभ्यर्थियों का ही चयन किया गया है जिनमें से 122 अभ्यर्थियों के परिणाम जारी कर 08 अभ्यर्थियों के परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त होने, न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों, दिव्यांगता के सत्यापन आदि कारणों से रोके गये है।</p> <ol style="list-style-type: none"> अभ्यर्थी द्वारा श्री अजय कुमार शर्मा के संबंध में दिये गये तथ्य गिथ्या है। अभ्यर्थी को अधीक्षक, एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर द्वारा लैब टेक्नीशियन के पद पर ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये गये है। राज्य सरकार द्वारा कोविड अवधि दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 तक निर्धारित की गई थी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त अवधि में एक दिवस भी कार्य किया गया है तो नियमानुसार ऐसे अभ्यर्थियों को 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 गधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अभ्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है। श्री कृष्ण कुमार शर्मा का आरपीएमसी में प्रथम पंजीकरण दिनांक 08.07.2021 को किया गया है इस प्रकार अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना में प्रस्तुत तथ्य पूर्णरूप से गिथ्या है। जिस पर कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। श्री भूपेश शर्मा के अनुभव अवधि उनके रजिस्ट्रेशन दिनांक 07.04.2022 के बाद भी 01 वर्ष से अधिक हो जाता है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 10 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ प्रदान किया गया है। अतः कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। 	<p>परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार-किया गया। अभ्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>
-----	---------------	-----------	---	---	--



213	ANKIT KUMAR SHARMA	LTN107410	<p>1. अम्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अम्यर्थियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुभव आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुभव का शून्य करने बाबत निवेदन किया है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115379, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752, LTN117638, LTN115496, LTN116553, LTN117909</p> <p>2. आईडी संख्या LTN117778, LTN117930 के अनुभव प्रमाण पत्रों को पुनः जाँचकर बोनस अंक देने बाबत निवेदन किया है।</p> <p>3. आईडी संख्या LTN118377, LTN116989 का अनुभव लैब सहायक के पद पर बताया गया है।</p> <p>4. आईडी संख्या LTN116269, LTN115020 के दस्तावेज सत्यापन एवं अन्तरिम बरियता सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशतों के अन्तर के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>5. आईडी संख्या LTN118322, LTN114575, LTN115974, LTN107239, LTN110971, LTN113821, LTN117510, LTN114521, LTN109671, LTN113210, LTN113833, LTN120031, LTN113076 के संबंध में राजस्थान पैरा मेडिकल कॉलेज में पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है।</p> <p>6. आईडी संख्या LTN114723 के खेल प्रमाण पत्र को फर्जी/कूटस्थित बताया गया है।</p>	<p>1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माघच सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21/11/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अम्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>2. अम्यर्थी द्वारा उल्लेखित आईडी क्रमांक LTN117778, LTN117930 के अनुभव का पुनर्सत्यापन कराया जाने के उपरान्त निर्धारित बोनस देय होगा।</p> <p>3. अम्यर्थी का अनुभव लैब सहायक पद का है माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 14007/2023 हेम सिंह चौहान बनाम सरकार में कहा है कि लैब सहायक व लैब टेक्नीशियन का कार्य एक समान है, एवं रिट याचिका संख्या 1669/2022 नरेन्द्र बरवाल में निर्देश दिये है कि पदनाम की अपेक्षा सम्पादित कार्य के आधार पर अनुभव के लाभ का निर्धारण किया जाये तथा रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में मर्ती नियम 1965 के नियम 49 की सखी से प्रालना के निर्देश दिये हैं। अतः उपरोक्त के आधार पर अम्यर्थी का कोविड काल में लैब सहायक पद के अनुभव को मान्य किया जाने बाबत निर्णयार्थ नीति निर्धारण समिति के समक्ष रखा जाना प्रस्तावित है।</p> <p>4. दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अम्यर्थी द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जबकि अन्तरिम चयन सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना दस्तावेजों के जाँच उपरान्त की गई है। इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत एवं अन्तरिम चयन सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत में अन्तर आना स्वभाविक है।</p> <p>5. अम्यर्थी द्वारा परिवेदना में उल्लेखित आईडी क्रमांक के संबंध में आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>6. खेल प्रमाण पत्रों को सत्यापन संबंधित फेडरेशन/इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन से करवाया जा रहा है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी।</p>	<p>परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अम्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम बरियता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निराकरण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>
-----	--------------------	-----------	---	--	---

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large '38' and several illegible signatures.


214	MOHAN LAL	LTN109429	<p>1. अर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अर्थीयों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुभव आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुभव का शून्य करने बाबत निवेदन किया है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115379, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752, LTN117638</p> <p>2. आईडी संख्या LTN117778, LTN117930 के अनुभव प्रमाण पत्रों को पुनः जाँचकर बोनस अंक देने बाबत निवेदन किया है।</p> <p>3. आईडी संख्या LTN118377 का अनुभव लेब सहायक के पद पर बताया गया है।</p> <p>4. आईडी संख्या LTN116269, LTN115020, LTN118306, LTN117493 के दस्तावेज सत्यापन एवं अन्तरिम बरियता सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशतों के अन्तर के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>5. आईडी संख्या LTN118322, LTN114575, LTN115974, LTN120031, LTN109671 के संबंध में राजस्थान पैरा मेडिकल कॉलेज में पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है।</p> <p>6. आईडी संख्या LTN114723 के खेल प्रमाण पत्र को फर्जी/कूटरचित बताया गया है।</p>	<p>1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अर्थीयों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>2. अर्थी द्वारा उल्लेखित आईडी क्रमांक LTN117778, LTN117930 के अनुभव का पुनःसत्यापन कराया जाने के उपरान्त निर्धारित बोनस देय होगा।</p> <p>3. अर्थी का अनुभव लेब सहायक पद का है माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 14007/2023 हेम सिंह चौहान बनाम सरकार में कहा है कि लेब सहायक व लेब टेक्नीशियन का कार्य एक समान है, एवं रिट याचिका संख्या 1669/2022 नरेन्द्र बरवाल में निर्देश दिये हैं कि पदनाम की अपेक्षा संयोजित कार्य के आधार पर अनुभव के लाभ का निर्धारण किया जाये तथा रिट याचिका संख्या 14080/2023 सज्जद कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की संख्या से पालना के निर्देश दिये हैं। अतः उपरोक्त के आधार पर अर्थी का कोविड काल में लेब सहायक पद के अनुभव को मान्य किया जाने बाबत निर्णयार्थ निति निर्धारण समिति के समक्ष रखा जाना प्रस्तावित है।</p> <p>4. दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अर्थी द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जबकि अन्तरिम चयन सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना दस्तावेजों के जाँच उपरान्त की गई है। इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत एवं अन्तरिम चयन सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत में अन्तर आना स्वभाविक है।</p> <p>5. अर्थी द्वारा परिवेदना में उल्लेखित आईडी क्रमांक के संबंध में आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>6. खेल प्रमाण पत्रों को सत्यापन संबंधित फेडरेशन/इंफिडयन ओलम्पिक एसोसिएशन से करवाया जा रहा है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी।</p>	<p>परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम बरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>
215	MOHAN LAL	LTN113001	<p>1. अर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अर्थीयों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुभव आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुभव का शून्य करने बाबत निवेदन किया है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115379, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752</p>	<p>माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अर्थीयों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।</p>	<p>परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम बरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>

216	DEENDAYAL CHANDOLIYA	LTN108052	अभ्यर्थी द्वारा कोई ऑनलाईन परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल निम्नलिखित अभ्यर्थी के आईडी क्रमांक अंकित करते हुये अनुभव रजिस्ट्रेशन दिनांक के पहले का बताया है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अभ्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।	परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अभ्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
217	NARENDRA SAINI	LTN110447	1. अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अभ्यर्थियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुभव आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताया हुये अनुभव का शून्य करने बाबत निवेदन किया है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115379, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अभ्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।	परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अभ्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
218	JAGJEET SINGH	LTN107562	अभ्यर्थी द्वारा कोई ऑनलाईन परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल निम्नलिखित अभ्यर्थी के आईडी क्रमांक अंकित करते हुये अनुभव रजिस्ट्रेशन दिनांक के पहले का बताया है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अभ्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।	परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अभ्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

219	GAURAV SHARMA	LTN117229	<p>1. अम्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अम्यर्थियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुभव आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुभव का शून्य करने बाबत निवेदन किया है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN117481, LTN114870, LTN118548, LTN115379, LTN117660, LTN117638</p> <p>2. आईडी संख्या LTN117778, LTN117930 के अनुभव प्रमाण पत्रों को पुनः जाँचकर बोनस अंक देने बाबत निवेदन किया है।</p> <p>3. आईडी संख्या LTN118377 का अनुभव लेब सहायक के पद पर बताया गया है।</p> <p>4. आईडी संख्या LTN116269, LTN115020 के दस्तावेज सत्यापन एवं अन्तरिम वरियता सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशतों के अन्तर के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>5. आईडी संख्या LTN109671 के संबंध में राजस्थान पैरा मेडिकल कॉलेज में पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है।</p> <p>6. आईडी संख्या LTN114723 के खेल प्रमाण पत्र को फर्जी/कूटरचित बताया गया है।</p>	<p>1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट' पिटिशन संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अम्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>2. अम्यर्थी द्वारा उल्लेखित आईडी क्रमांक LTN117778, LTN117930 के अनुभव का पुनःसत्यापन कराया जाने के उपरान्त निर्धारित बोनस देय होगा।</p> <p>3. अम्यर्थी का अनुभव लेब सहायक पद का है माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 14007/2023 हेम सिंह चौहान बनाम सरकार में कहा है कि लेब सहायक व लेब टैक्नीशियन का कार्य एक समान है, एवं रिट याचिका संख्या 1669/2022 नरेन्द्र बरवाल में निर्देश दिये है कि पदनाम की अपेक्षा संम्बन्धित कार्य के आधार पर अनुभव के लाभ का निर्धारण किया जाये तथा रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में नती नियम 1985 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश दिये हैं। अतः उपरोक्त के आधार पर अम्यर्थी का कोविड काल में लेब सहायक पद के अनुभव को मान्य किया जाने बाबत निर्णयार्थ नीति निर्धारण समिति के समक्ष रखा जाना प्रस्तावित है।</p> <p>4. दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अम्यर्थी द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जबकि अन्तरिम घयन सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना दस्तावेजों के जाँच उपरान्त की गई है। इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत एवं अन्तरिम घयन सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत में अन्तर आना स्वभाविक है।</p> <p>5. अम्यर्थी द्वारा परिवेदना में उल्लेखित आईडी क्रमांक के संबंध में आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>6. खेल प्रमाण पत्रों को सत्यापन संबंधित फेडरेशन/इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन से करवाया जा रहा है सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी।</p>	<p>परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अम्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>
220	SANJAY	LTN102119	<p>अम्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, केवल परिवेदना के साथ अन्तरिम घयन सूची एवं विज्ञप्ति की प्रति एवं निम्नलिखित 04 अम्यर्थियों के आरपीएमसी में पंजीकरण नहीं होने की शिकायत प्रस्तुत की है:- LTN117060, LTN118663, LTN118458, LTN105081</p>	<p>परिवेदना में उल्लेखित आईडी संख्या LTN117060, LTN118458, LTN105081 के संबंध में आरपीएमसी द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं होने की सूचना से अवगत कराया गया है किन्तु उक्त तीनों अम्यर्थियों के प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्याधीन नती प्रक्रिया में सम्मिलित कर परिणाम रोके गये है शेष आईडी संख्या LTN118663 के संबंध में आरपीएमसी द्वारा रजिस्ट्रेशन होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अतः कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।</p>	<p>परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अम्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>

221	PRIYANKA GAUR	LTN116175	<p>अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निम्न बिन्दुओं को संज्ञान में लेने बाबत निवेदन किया है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कुछ अभ्यर्थी जिनका अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 31.05.2023 के बाद का है जो कि विज्ञापन के नियमानुसार अमान्य है। 2. कुछ अभ्यर्थी जिनका अनुभव 01 साल, 02 साल एवं 03 का पूर्ण नहीं हो रहा है। उनको भी बोनस अंक मिले हैं। 3. कुछ अभ्यर्थियों के लैब सहायक का अनुभव होने के बावजूद उसको बोनस अंक प्रदान किये हैं। जो कि विज्ञापन के नियम विरुद्ध है। 4. निम्नलिखित अभ्यर्थी के आईडी क्रमांक अंकित करते हुये अनुभव रजिस्ट्रेशन दिनांक के पहले का बताया है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583 	<ol style="list-style-type: none"> 1. सभी भर्तियों हेतु अनुभव हेतु अनुभव की गणना आवेदन पत्र भरने की दिनांक से एक दिवस पूर्व तक की जावेगी। 2. अभ्यर्थी द्वारा बिन्दु संख्या 02 में किसी व्यक्तिविशेष के संबंध में कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की है। तथापि अनुभव प्रमाण पत्रों की जाँच का कार्य प्रक्रियाधीन है जाँच के परिणाम के अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी। 3. अभ्यर्थी का अनुभव लैब सहायक पद का है माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या हेम सिंह चौहान बनाम सरकार में कहा है कि लैब सहायक व लैब टैक्नीशियन का कार्य एक समान है, एवं रिट याचिका संख्या 1669/2022 नरेन्द्र बरवाल में निर्देश दिये हैं कि पदनाम की अपेक्षा सम्पादित कार्य के आधार पर अनुभव के लाभ का निर्धारण किया जाये तथा रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में भर्ती नियम 1985 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश दिये हैं। अतः उपरोक्त के आधार पर अभ्यर्थी का कोविड काल में लैब सहायक पद के अनुभव को मान्य किया जाने बाबत निर्णयार्थ नीति निर्धारण समिति के समक्ष रखा जाना प्रस्तावित है। 4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अभ्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है। 	<p>परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अभ्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>
222	JAGDISH PURI	LTN112155	<p>रजिस्ट्रेशन के बाद के लैब सहायक पद के अनुभव के बोनस अंको को हटाकर अंतरिम सूची की खामियों में सुधार हेतु परिवेदना।</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. सभी भर्तियों हेतु अनुभव हेतु अनुभव की गणना आवेदन पत्र भरने की दिनांक से एक दिवस पूर्व तक की जावेगी। 2. अभ्यर्थी द्वारा बिन्दु संख्या 02 में किसी व्यक्तिविशेष के संबंध में कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की है। तथापि अनुभव प्रमाण पत्रों की जाँच का कार्य प्रक्रियाधीन है जाँच के परिणाम के अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी। 3. अभ्यर्थी का अनुभव लैब सहायक पद का है माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या हेम सिंह चौहान बनाम सरकार में कहा है कि लैब सहायक व लैब टैक्नीशियन का कार्य एक समान है, एवं रिट याचिका संख्या 1669/2022 नरेन्द्र बरवाल में निर्देश दिये हैं कि पदनाम की अपेक्षा सम्पादित कार्य के आधार पर अनुभव के लाभ का निर्धारण किया जाये तथा रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में भर्ती नियम 1985 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश दिये हैं। अतः उपरोक्त के आधार पर अभ्यर्थी का कोविड काल में लैब सहायक पद के अनुभव को मान्य किया जाने बाबत निर्णयार्थ नीति निर्धारण समिति के समक्ष रखा जाना प्रस्तावित है। 4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अभ्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है। 	<p>परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अभ्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>

38 / 7



223	SUMAN JATWA	LTN106607	अभ्यर्थी द्वारा कोई ऑनलाईन परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल निम्नलिखित अभ्यर्थी के आईडी क्रमांक अंकित करते हुये अनुभव रजिस्ट्रेशन दिनांक के पहले का बताया है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट प्रिटिशन संख्या 15214/2023 माघव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अभ्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।	परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अभ्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
224	VINI KOCHAR	LTN112183	रजिस्ट्रेशन के बाद के लैब सहायक मद के अनुभव के बोनस अंको को हटाकर अंतरिम सूची की खाभियों में सुधार हेतु परिवेदना।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। अतः कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अभ्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
225	LAVISHA LALWANI	LTN112571	अभ्यर्थी द्वारा कोई ऑनलाईन परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल निम्नलिखित अभ्यर्थी के आईडी क्रमांक अंकित करते हुये अनुभव रजिस्ट्रेशन दिनांक के पहले का बताया है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट प्रिटिशन संख्या 15214/2023 माघव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अभ्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।	परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अभ्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

226	PANKAJ ASOPA	LTN104266	<p>अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निम्न बिन्दुओं को संज्ञान में लेने बाबत निवेदन किया है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कुछ अभ्यर्थी जिनका अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 31.05.2023 के बाद का है जो कि विज्ञापन के नियमानुसार अमान्य है। 2. कुछ अभ्यर्थी जिनका अनुभव 01 साल, 02 साल एवं 03 का पूर्ण नहीं हो रहा है। उनको भी बोनस अंक मिले है। 3. कुछ अभ्यर्थियों के लैब सहायक का अनुभव होने के बावजूद उसको बोनस अंक प्रदान किये है। जो कि विज्ञापित के नियम विरुद्ध है। 4. निम्नलिखित अभ्यर्थी के आईडी क्रमांक अंकित करते हुये अनुभव रजिस्ट्रेशन दिनांक के पहले का बताया है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583 	<ol style="list-style-type: none"> 1. सभी शर्तियाँ हेतु अनुभव हेतु अनुभव की गणना आवेदन पत्र भरने की दिनांक से एक दिवस पूर्व तक की जावेगी। 2. अभ्यर्थी द्वारा बिन्दु संख्या 02 में किसी व्यक्तिविशेष के संबंध में कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की है। तथापि अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच का कार्य प्रक्रियाधीन है जांच के परिणाम के अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी। 3. अभ्यर्थी का अनुभव लैब सहायक पद का है माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या हेम सिंह चौहान बनाम सरकार में कहा है कि लैब सहायक व लैब टैक्नीशियन का कार्य एक समान है, एवं रिट याचिका संख्या 1669/2022 गुरेन्द्र बरवाल में निर्देश दिये है कि पदनाम की अपेक्षा संपादित कार्य के आधार पर अनुभव के लाभ का निर्धारण किया जाये तथा रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार ब्रेनिवाल बनाम सरकार में शर्ती नियम 1985 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश दिये हैं। अतः उपरोक्त के आधार पर अभ्यर्थी का कोविड काल में लैब सहायक पद के अनुभव को मान्य किया जाने बाबत निर्णयार्थ नीति निर्धारण समिति के समक्ष रखा जाना प्रस्तावित है। 4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अभ्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है। 	<p>परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अभ्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>
227	DIVYANSHU TANWAR	LTN112571	<p>अभ्यर्थी द्वारा कोई ऑनलाईन परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल निम्नलिखित अभ्यर्थी के आईडी क्रमांक अंकित करते हुये अनुभव रजिस्ट्रेशन दिनांक के पहले का बताया है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583</p>	<p>माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अभ्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।</p>	<p>परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अभ्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>

39

228	ANIL KUMAR KEENA	LTN113426	अभ्यर्थी द्वारा कोई ऑनलाइन परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल निम्नलिखित अभ्यर्थी को आईडी क्रमांक अंकित करते हुये अनुभव रजिस्ट्रेशन दिनांक के पहले का बताया है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.डी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माध्यम से सिद्ध बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अभ्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।	परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अभ्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
229	KHURSHID AHMED	LTN118317	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दरतावेज संलग्न है।	अभ्यर्थी ने केवल कुछ दस्तावेज संलग्न किये हैं जिससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि अभ्यर्थी की प्रार्थना क्या है। अभ्यर्थी का चयन 20 थोनस अंकों के साथ 63.532 अंकों के साथ ईडब्ल्यूएस. सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत हुआ है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
230	DHARAMVEER SINGH SINGHADIYA	LTN107047	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दरतावेज संलग्न है।	अभ्यर्थी ने कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। सैकण्डरी परीक्षा की अंकतालिका एवं आरपीएमसी में पंजीयन की प्रति अपलोड की है। अभ्यर्थी अनुसूचित जाति वर्ग में चयनित है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
231	MAHAVEER PRASAD LAKSHKAR	LTN110959	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दरतावेज संलग्न है।	अभ्यर्थी ने ऑनलाइन परिवेदना के साथ सैकण्डरी परीक्षा की अंकतालिका प्रस्तुत की है। अभ्यर्थी अन्तरिम चयन सूची में अनारक्षित वर्ग में चयनित है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
232	ANKIT SHARMA	LTN119782	नवीनतम ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र स्वीकार करने बाबत।	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आवेदन किया गया एवं 20.01.2023 को जारी ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय दिया गया प्रमाण पत्र वर्ष 2022-23 हेतु नवीनतम प्रमाण वर्ष 2022-23 हेतु मान्य है। अभ्यर्थी पूर्व से ही ईडब्ल्यूएस श्रेणी में है। अतः अब कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
233	PRAMOD KUMAR BIJARNIA	LTN117645	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दरतावेज संलग्न है।	अभ्यर्थी 63.671 प्रतिशत अंकों के साथ सामान्य श्रेणी में चयनित है। अतः परिवेदना प्रस्तुत करने का कारण स्पष्ट नहीं है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
234	RINKU PATEL	LTN104104	अभ्यर्थी द्वारा नॉन टीएसपी से टीएसपी में फार्म बदलने हेतु परिवेदना।	अभ्यर्थी द्वारा उसके स्वयं के आवेदन पत्र को नॉन टीएसपी से टीएसपी में फार्म बदलने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की गई है। टीएसपी व नॉन-टीएसपी क्षेत्र हेतु पृथक-पृथक विज्ञप्ति जारी की गई थी। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र से संबंध रखता था, तो उसे तत्समय अनुसूचित क्षेत्र हेतु जारी विज्ञप्ति के सन्दर्भ में आवेदन भरा जाना था, जो उनके द्वारा नहीं भरा गया है। अतः अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	परिवेदना खारिज।
235	YOGENDRA SINGH CHAHR	LTN104372	अभ्यर्थी द्वारा कोई ऑनलाइन परिवेदना संलग्न नहीं की है, केवल आवेदन पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
236	Wahiduddeen Khan	LTN104249	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर जिन अभ्यर्थियों के परिणाम रोके गये हैं उनके नाम दर्शाने, सभी वर्ग के रिक्त पदों का विवरण बताने, एवं आवेदन पर का विवरण जानने के लिये ओटीपी की अनिवार्यता को समाप्त कर भर्ती में पारदर्शिता लाने हेतु परिवेदना।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। सम्पूर्ण भर्ती नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न की जा रही है। कोई अन्य कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई अन्य कार्यवाही आवश्यक नहीं।

237	YUKTA SHRIMALI	LTN106248	रजिस्ट्रेशन के बाद के लैब सहायक पद के अनुभव के बोनस अंको को हटाकर एवं निजी चिकित्सालयों के अनुभव को अमान्य, अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों की योग्यता की जाँच एवं अन्य राज्य से अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को अनुभव का लाग प्रदान नहीं करने आदि का उल्लेख किया है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। अतः कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
238	RAJENDRA KUMAR BANSIWAL	LTN116793	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थी का पूर्व में एस.सी. श्रेणी में चयन किया जा चुका है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
239	PRIYANKA RANKAWAT	LTN114596	विभाग द्वारा गलत बोनस अंक एवं गलत अनुभव की गणना से आयोग्य उम्मीदवारों का चयन हो जाने के संबंध में अपनी परिवेदना प्रस्तुत की गई है जो निम्नानुसार है:- 1. रजिस्ट्रेशन के बाद भी 1,2,3 वर्ष पूर्ण नहीं होने पर भी 10,20,30 बोनस अंक दिये गये। 2. लैबोरेटरी सहायक/निजी अस्पतालों का अनुभव मान्य नहीं करे आदि। उक्त अभ्यर्थियों को बाहर योग्य अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने का निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थिया द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
240	HEMRAJ SHARMA	LTN108263	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई केवल ईडब्ल्यूएस वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण एवं ऑनलाईन आवेदन में संलग्न प्रमाण पत्र समान है तथा अभ्यर्थी को पूर्व में ईडब्ल्यूएस वर्ग में मानकर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
241	AMARJEET VERMA	LTN103438	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना, संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। अतः कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
242	BUDDHI PRAKASH PRAJAPAT	LTN114423	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थी का चयन अंतरिम वरियता सूची में किया जा चुका है। अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
243	Mohit Rakheja	LTN112355	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई केवल स्वयं का आवेदन पत्र संलग्न किया गया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
244	VARSHA MEENA	LTT116404	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है।	अन्तरिम वरियता सूची में अभ्यर्थिया का चयन व्यावसायिक योग्यता की अंकतालिकाओं के सत्यापन के अध्याधीन किया गया था। अभ्यर्थिया के व्यावसायिक योग्यता की अंकतालिकाओं का सत्यापन ऑनलाईन किया जा चुका है। अतः रिमार्क हटाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
245	Dimple Soni	LTT115971	प्राथी ओबीसी-एनसीएल वर्ग से संबंधित है। जबकि फॉर्म में गलती से एससी हो गई है को संशोधित करने बाबत।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन टीएसपी क्षेत्र से किया गया है जबकि अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का गैर अनुसूचित क्षेत्र का निवासी है। अतः अभ्यर्थिया की पात्रता निरस्त की जा चुकी है।	परिवेदना खारिज

21 / 7

Handwritten signatures and marks are present below the table.

246	Sharwan Bhadani	LTN118165	<p>1-बिना किसी बड़े कारण के विसम्बर 2022 की पद 1044 की भर्ती को निरस्त कर दिया इसका परिणाम यह हुआ 2022 के रजिस्टर्ड आरपीएमसी के अभ्यर्थियों को नये 2023 के आये आरपीएमसी पासआउट से भी पिछड़े हुए रहे गये तथा 2023 तक अनुभव के फर्जी मनमाने तरीके अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती गई और उच्चशिक्षित पिछड़ गये।</p> <p>2- शीफू की भर्ती नियमों में किसी प्रकार से 15 प्रतिशत बोनस अनुभव का नियमों का प्रकाशन किया गया था भर्ती 2022 तथा 2023 में अनुभव नियमों के विरुद्ध एक माह दो माह 6 माह के आवेदक को भी 15 प्रतिशत बोनस अनुभव देकर आरयूएचएस पासआउट वीएससी एमएलटी डिग्रीधारी के साथ सरासर अन्याय किया है।</p> <p>3- केन्द्र सरकार रेल्वे, आईसीएमआर, एम्स अन्य स्थानों में भर्ती नियमों में वीएससी एमएलटी के पासआउट लैब टेक्नीशियन को दो साल अनुभव योग्य मानते है तथा इन्टरशिप 6 माह को भी अनुभव की श्रेणी में शामिल करते है जबकि आरपीएमसी के डिप्लोमा की इन्टरशिप नहीं होती है। मेरी इस न्यायिक परिवेदना को पूर्णतः मानव संवेदना लेते हुए न्याय कर हमारे मानसिक अवसाद को कम करने की कृपा करे।</p>	<p>1-वित्त विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में वृद्धि के कारण वर्ष 2022 की विज्ञापित को निरस्त किया गया था।</p> <p>2- अनुभव आधारित बोनस अंक नियमानुसार दिए गए है माननीय न्यायालय द्वारा भी रिट याचिका सं. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान में इसे मान्य किया है।</p> <p>3- लैब टेक्नीशियन पद हेतु नियमों में निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार विज्ञापित जारी की जाकर इस भर्ती में अग्रिम कार्यवाही की गई है।</p>	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
247	PRADEEP KUMAR SHARMA	LTN112608	परिवेदना संलग्न नहीं है। सूची संलग्न है जिसमें एक सूची में अभ्यर्थी को 52.001 प्राप्तांकों के साथ व दूसरी सूची में 51.912 अंकों के साथ ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग में चयनित दर्शाया है।	<p>दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे डाटा के अनुसार थी जिसका दस्तावेज सत्यापन उपरान्त सभी भर्तियों हेतु सभी अभ्यर्थियों हेतु समाना रूप से निम्नानुसार गणना की गई है:- अभ्यर्थी के सीनियर सिकण्डरी परीक्षा के प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक योग्यता के कुल प्राप्तांक का प्रतिशत को जोड़कर उनके औसत प्रतिशत प्राप्तांको का 70 प्रतिशत वेटेज देकर एवं इनमें कोई बोनस अंक है तो परियता सूची तैयार की जाती है। अभ्यर्थी के सीनियर सिकण्डरी की परीक्षा में 78.200 प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक परीक्षा के कुल प्राप्तांको का प्रतिशत है जिनको जोड़कर अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 74.160 बनते है एवं औसत प्राप्तांक प्रतिशत के 70 प्रतिशत वेटेज के आधार पर अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 51.912 प्रतिशत बनते है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।</p>	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।

Handwritten signatures and marks are present below the table, including a large '38' and several illegible signatures.

248	PRASHANT TEJI	LTN103939	दस्तावेज सत्यापन व अंतरिम वरियता सूची की प्रतिशत में अंतर में सुधार करने बाबत।	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे डाटा के अनुसार थी जिसका दस्तावेज सत्यापन उपरान्त सभी भर्तियों हेतु सभी अभ्यर्थियों हेतु समाना रूप से निम्नानुसार गणना की गई है:- अभ्यर्थी के सीनियर सैकण्डरी परीक्षा के प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक योग्यता के कुल प्राप्तांक का प्रतिशत को जोड़कर उनके औसत प्रतिशत प्राप्तांको का 70 प्रतिशत वेटेज देकर एवं इनमें कोई बोनस अंक है तो वरियता सूची तैयार की जाती है। अभ्यर्थी के सीनियर सैकण्डरी की परीक्षा में 65.600 प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक परीक्षा के कुल प्राप्तांको का प्रतिशत 68.280 है जिनको जोड़कर अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 66.940 बनते हैं एवं औसत प्राप्तांक प्रतिशत के 70 प्रतिशत वेटेज के आधार पर अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 46.858 प्रतिशत बनते हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
249	AJAY KUMAR PRAJAPAT	LTN116978	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है किन्तु अभ्यर्थी ने कोविड के दौरान कार्यरत होने का प्रमाण संलग्न किया है। अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन माह जून 2023 में हुआ है अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माघव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में रजिस्ट्रेशन से पूर्व की अवधि का बोनस देय नहीं होने से गैरिट में शून्य बोनस देते हुए यथास्थान रखा गया है। कोई अन्य कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
250	AJAY BHARDWAJ	LTN105651	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल एक सूची संलग्न की है जिसमें कुछ अभ्यर्थियों के अन्तरिम एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में प्राप्तांक प्रतिशत का तुलना का विवरण है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांको की गणना उनके द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जबकि अन्तरिम वरियता सूची में कुल प्राप्तांको की गणना दस्तावेज में अंकित प्राप्तांको अनुसार की गई है। इस प्रकार उनके कुल प्राप्तांक प्रतिशतों में अंतर होना स्वभाविक है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
251	TRILOK CHAND NAGAR	LTN117127	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं की अनुभव अवधि की पुनः गणना कर बोनस अंको को संशोधित किये जाने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी का चयन अंतरिम वरियता सूची में किया जा चुका है। जिसमें अभ्यर्थी को 15 प्रतिशत बोनस अंको का लाभ प्रदान किया गया है। अभ्यर्थी की अनुभव अवधि का पुनःसत्यापन अनुभव जारीकर्ता अधिकारी द्वारा किया जा चुका है जिसमें अभ्यर्थी के 15 बोनस अंक ही सत्यापित किये गये हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।

संयुक्त शासन सचिव
चि. एवं स्वा. (ग्रुप-3) विभाग

संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
मुख्यालय

सदस्य सचिव
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
मुख्यालय

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

राजिस्ट्रार,
राजस्थान पैरा मेडिकल
कौंसिल

उप विधि परामर्शी,
चि. एवं स्वा. विभाग,
शासन सचिवालय

उप विधि परामर्शी, मुख्यालय

20
21
22
23



24

25